केनरा बैंक की
त्रैमासिक
हिंदी गृह पत्रिका

केनरा ज्योति

अंक : 37

जुलाई – सितम्बर 2023

हिंदी दिवस विशेषांक

केनरा बैंक
भारत सरकार का उपक्रम

Canara Bank
A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

Together We Can

दिनांक 25.08.2023 को आयोजित प्रधान कार्यालय की 189 वीं राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के दौरान केनरा ज्योति पत्रिका के 36 वें अंक का विमोचन करते हुए श्री के सत्यनारायण राजु, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी साथ में श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया, कार्यपालक निदेशक एवं श्री डी. सुरेन्द्रन, मुख्य महाप्रबंधक, श्रीमती के कल्याणी, मुख्य महाप्रबंधक तथा उपस्थित अन्य गणमान्य।

दिनांक 14.09.2023 से 15.09.2023 तक पुणे में आयोजित तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में नराकास (बैंक व बीमा), बेंगलूरु (संयोजक : केनरा बैंक) को श्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन हेतु 'नराकास सम्मान पुरस्कार' से पुरस्कृत किया गया। केरल के राज्यपाल माननीय श्री आरिफ़ मोहम्मद खान व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्र के करकमलों से केनरा बैंक के मानव संसाधन विभाग के महा प्रबंधक, श्री टी. के. वेणुगोपाल, श्री ई रमेश, सहायक महा प्रबंधक एवं श्री मयंक पाठक, वरिष्ठ प्रबंधक द्वारा पुरस्कार गृहण किया गया।

श्री के. सत्यनारायण राजु
प्रबंध निदेशक
व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री अशोक चंद्र
कार्यपालक निदेशक

श्री डी. सुरेन्द्रन
मुख्य महाप्रबंधक

श्री टी. के. वेणुगोपाल
महाप्रबंधक

श्री ई. रमेश
सहायक महाप्रबंधक

संपादक
सुश्री रीनु मीना, प्रबंधक

संपादन सहयोग
श्री जी. अशोक कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक
श्री राघवेन्द्र कुमार तिवारी, वरिष्ठ प्रबंधक
श्री मयंक पाठक, वरिष्ठ प्रबंधक
श्री डी. बालकृष्ण, वरिष्ठ प्रबंधक
श्री विजय कुमार, अधिकारी

बिक्री के लिए नहीं
प्रकाशन : केनरा बैंक,
राजभाषा अनुभाग,
मानव संसाधन विभाग, प्रधान कार्यालय
112, जे.सी. रोड,
बेंगलूरु - 560 002
दूरभाष : 080-2223 4079
वेबसाइट :
www.canarabank.com

केवल आंतरिक परिचालन हेतु
* * *
पत्रिका में अभिव्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। केनरा बैंक का उनसे सहमत होना ज़रूरी नहीं है।

विषय सूची — पृष्ठ संख्या

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश – के. सत्यनारायण राजु	1
मुख्य संपादक का संदेश – ई. रमेश	2
बैंकिंग कारोबार करने में हिंदी का महत्व – गौरव जोशी	4
आओ.... हिंदी अपनाएं... – अल्पना शर्मा	8
माँ की याद मातृ दिवस पर ही क्यों आई ..... – प्रतीक आर्य	9
हिन्दी राजभाषा है हिन्दुस्तान की – आशीष रंजन	10
देवनागरी एवं अन्य भारतीय लिपियां – निशा शर्मा	11
राजभाषा – विशेषताएं एवं स्वरूप – धीरज जुनेजा	16
हिंदी से समृद्धि – प्रदीप राज. एस	18
भाषा व साहित्य – लीना ज्ञानवानी	19
हिंदी दिवस कार्यक्रम की झलकियाँ	21
भारतीय बैंकिंग में राजभाषा का महत्व – स्वीटी कुमारी	25
हिंदी से समृद्ध होती भारतीय भाषाएं – मयंक पाठक	29
हिंदी ही है वह भाषा .. – राजेश गोयल	32
जन गण मन की अभिलाषा – राज तिलक पांडेय	32
आजादी का अमृत महोत्सव एवं हिंदी का स्थान – सोनिया कुमारी	33
हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का संबंध – अभिजीत कुमार सिन्हा	34
हिन्दी हमारी शान है... – स्मारिका	35
पहचान दिलाएं हिन्दी को – रेनी श्रीवास्तव	35
देवनागरी लिपि को रोमन लिपि से मिलती चुनौतियां – गुलशन पँवार	36
हिंदी संवाद – अस्मिता द्विवेदी	38
विविधता में एकता के लिए उत्प्रेरक : राजभाषा हिंदी – विजय कुमार	39
मैं हिंदी हूँ .... – नितिन गुप्ता	41
देश की आत्मा – हिंदी – रुचि जैन	42
ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता शृंखला – शंकरनकुट्टी कुंजीरमन पोट्टेक्काट	44

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश

प्रिय केनराइट्स !

केनरा बैंक की त्रैमासिक हिंदी गृह पत्रिका '**केनरा ज्योति**' के 37वें अंक को '**राजभाषा विशेषांक**' के रूप में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है।

केनरा बैंक भारत सरकार की राजभाषा नीति एवं राजभाषा संबंधी संवैधानिक नियमों को सक्रिय रूप से लागू करने के प्रति सदैव अग्रसर रहा है। राजभाषा हिंदी भारत की समस्त भाषाओं को एक सूत्र में बांधने का सामर्थ्य रखने वाली भाषा है। भाषा की शक्ति सर्वोच्च होती है और इसी मान्यता को समझते हुए हम क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन और विकास के साथ – साथ बैंकिंग के समस्त संबंधित क्षेत्रों में हिंदी का प्रभावी प्रयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं।

बैंक के लिए यह बड़े हर्ष का विषय है कि इस वर्ष भी हमारे विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों, अंचल कार्यालयों एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के संयोजक कार्यालयों ने हिंदी का व्यापक प्रचार – प्रसार किया है एवं कई पुरस्कार हासिल किए हैं। इसके लिए मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं बैंक के सभी कार्यपालकों से आग्रह करता हूँ कि वे अपने – अपने स्तर पर राजभाषा हिंदी का स्वयं प्रयोग करें एवं अपने कार्यालय के सभी कर्मचारियों को भी हिंदी में काम करने हेतु प्रेरित करें।

हिंदी के प्रयोग में वृद्धि, ग्राहक सेवा में संवृद्धि। प्रौद्योगिकी में हिंदी का प्रयोग बढ़ाते हुए, लोगों तक आसानी से बैंकिंग सुविधा पहुँचाएं, हिंदी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है और इसे अपनाना हमारा कर्तव्य है। हम अपने ग्राहकों को उनकी भाषा में बैंकिंग सेवा प्रदान करके उनके साथ एक आत्मीय संबंध बनाने में भी कामयाब होते हैं। सफलता की सीढ़ी को बरकरार रखने और उससे आगे जाने के लिए नई योजनाओं के साथ पूरे उत्साह, उमंग व ऊर्जा से श्रेष्ठ कार्य करने होंगे। हमारी सफलता बेहतर ग्राहक सेवा में ही निहित होती है। अत:, ग्राहकों को उत्तम सेवा प्रदान करते रहें।

आज अंतरिक्ष जगत में भारत ने इतिहास रचा है। अथक परिश्रम एवं हौसले की उम्मीद के साथ आज भारत ने चांद पर भारत का झंडा लहराया है। चंद्रयान – 3 मिशन ने आने वाली पीढ़ी के नवप्रवर्तकों को प्रेरित किया है। इस मिशन ने अन्य देशों को भी अंतरिक्ष एवं चन्द्रमा के प्रति जागरूक एवं नई खोज करने के लिए प्रेरित किया है। भारत हर क्षेत्र में तीव्र गति आगे बढ़ रहा है। इस तेज़ रफ्तार में केनरा बैंक निरंतर अग्रसर है जो दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 को घोषित हमारे बैंक के सितंबर तिमाही के नतीजे से स्वत: ही स्पष्ट हो जाता है। इस बार हमारे बैंक का वैश्विक कारोबार ₹21,56,181 लाख करोड़ हो गया है जो कुल वर्षानुवर्ष 10.12% की वृद्धि है। हमारे बैंक के सकल अग्रिम में वर्षानुवर्ष 12.11% की वृद्धि दर्ज की गई है और बैंक का निवल लाभ ₹3,606 करोड़ रहा है। परिचालन लाभ वर्षानुवर्ष 10.30% की वृद्धि के साथ ₹7,616 करोड़ रहा। बैंक की निवल ब्याज आय में 19.76% की वृद्धि हुई है।

बैंक में केनरा ज्योति का प्रकाशन भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिसके लिए संपादक मडंल बधाई के पात्र हैं। गृह पत्रिका किसी भी कार्यालय, विभाग या कर्मचारियों के विचारों, कार्यों और गतिविधियों का प्रतिबिंब होती है। इस प्रकार की पत्रिकाएँ न केवल राजभाषा हिन्दी की संवैधानिक अपेक्षाओं की पूर्ति करती हैं अपितु सरकारी क्षेत्र के कार्यालयों के छवि संवर्धन एवं कार्य की गुणवत्ता में सुधार लाने का भी एक सशक्त माध्यम होती हैं।

आइए, हम सब एक साथ मिलकर इस संस्था को आने वाले वर्षों में और भी सुदृढ़ और अधिक सफल बनाने का प्रयास करें। केनरा ज्योति पत्रिका का प्रकाशन एक सकारात्मक एवं सराहनीय प्रयास है, पत्रिका के पाठकों एवं संपादन मंडल को हार्दिक बधाई और पत्रिका के निरंतर प्रकाशन हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

के. एस. राजु

के. सत्यनारायण राजु
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

मुख्य संपादक का संदेश

प्रिय पाठकों,

'केनरा ज्योति' के 37वें अंक के माध्यम से पुन: आप सभी से संवाद स्थापित करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। **केनरा ज्योति** का यह नवीनतम अंक हिंदी दिवस विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। **राजभाषा हिंदी का महत्व देश की अखिल भारतीय एकता और अखंडता में है। यह एक साधारण भाषा नहीं है, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो हम सभी को एकजुट करती है। यही वो जीवंत पुल है जो हमारी भावनाओं को सबसे सुन्दर रूप में व्यक्त करती है। हिंदी दिवस के इस अवसर पर, हम सबको अपनी राजभाषा के प्रति गर्व महसूस करना चाहिए। यह भाषा हमारी संस्कृति और विरासत का हिस्सा है जिसे हमें सर्वदा सहेजकर रखना चाहिए।**

''राजभाषा हमारा गर्व है, जीवन की शान है।
सभी भाषाओं को समाहित करने वाली, हमारी हिंदी सबसे महान है।।''

हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हम सभी को एक साथ काम करना चाहिए और इसे विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। नि:संदेह समावेशी विकास में जो भूमिका भारतीय भाषाएं और विशेष रूप से राजभाषा हिंदी निभा सकती है वह कार्य किसी विदेशी भाषा के माध्यम से नहीं किया जा सकता। हिंदी भाषा ने भारतीय साहित्य को अमूल्य योगदान दिया है। हिंदी भारत में प्रचलित अन्य भाषा के शब्दों को समाहित करते हुए अपने शब्द भंडार को नित्य रूप से विकसित कर रही है तथा आने वाले समय में इसमें नित्य वृद्धि होगी।

''निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल
बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल''

पिछले वर्ष की भांति ही इस वर्ष भी हिंदी दिवस समारोह का शुभारंभ गृह मंत्रालय द्वारा 14 सितंबर को पुणे में किया गया। इस वर्ष हमारे बैंक को नराकास सम्मान पुरस्कार के अंतर्गत 'ग' क्षेत्र में द्वितीय एवं 'क' क्षेत्र में तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। बैंक के प्रधान व समस्त कार्यालयों में 14 सितंबर को हिंदी पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। हिंदी पखवाड़ा के दौरान दैनिक आधार पर विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं एवं विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया तथा दिनांक 29.09.2023 को हिंदी दिवस समारोह का भव्य रूप से आयोजन किया गया।

इस शुभ अवसर पर, हम सबको अपनी मातृभाषा के प्रति अपनी सजीव भावनाओं को साकार करना चाहिए और हिंदी को हमारे दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए। हिंदी भाषा को और उच्च स्तर पर ले जाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, ताकि हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रख सकें।

इस अंक पर भी आपकी अनुभवी दृष्टि हमारा मार्गदर्शन करेगी, इन्हीं अपेक्षाओं के साथ हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ।

आपका,

ई. रमेश
सहायक महाप्रबंधक

आलेख

बैंकिंग कारोबार करने में हिंदी का महत्व

गौरव जोशी
अधिकारी
कोट शमीर शाखा

हिन्दी ही हिन्द का नारा है,
प्रवाहित हिन्दी धारा है।
लाखों बाधाएँ हो फिर भी,
नहीं रुकना काम हमारा है।।

जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वह माँ के पेट से ही बोली सीखकर नहीं आता। उसे भाषा का पहला ज्ञान अपने माता-पिता द्वारा बोले गए प्यार भरे शब्दों से ही होता है। भारत में अधिकतर बच्चे सर्वप्रथम हिन्दी में ही अपनी माँ के प्यार भरे बोलों को सुनते हैं। मैंने एक बच्चे के रूप में जो पहला शब्द बोला – वह 'माँ' था। 'माँ' शब्द बहुत ही खूबसूरत शब्द है जो कि दिल की गहराई से उपजता है साथ ही यह शब्द हमारी हिन्दी भाषा के लिए मेरी भावना का प्रतिनिधित्व करता है। मेरे लिए हिन्दी मेरे दु:ख को व्यक्त करने, मेरा प्यार, मेरी खुशी और मेरी अन्य भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है। हिन्दी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। हिन्दी हिन्दुस्तान की भाषा है। यह भाषा है हमारे सम्मान, स्वाभिमान और गर्व की। हिन्दी से ही एकता अपना हिन्दुस्तान है और यह पूरा देश महान है। हिन्दी ने हमें विश्व में एकता के रूप में नई पहचान दिलाई है। हिन्दी हिन्दुस्तान को जोड़ती है। कभी गांधीजी ने इसे जनमानस की भाषा कहा तो इसी हिन्दी की खड़ी बोली को अमीर ख़ुसरो ने अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करने का माध्यम भी बनाया। हिन्दी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है। एक भाषा समय के साथ आगे बढ़ते हुए उस युग और परंपरा के अनुभव को महसूस कराती है जिसके मध्य से वह गुजर चुकी होती है। भाषा का अपना ही एक विशाल हृदय होता है जिसमें वो उन अनुभवों को समेट कर रखती है। भाषा व्यक्तित्व के विकास की कुंजी है। हिन्दी की बिन्दी को मस्तक पर सजा कर रखने की ज़रूरत है, सर आँखो पर बिठाने की ज़रूरत है क्यूँकि यह भारत माँ का गहना है।

संवैधानिक महत्त्व : –

संविधान ने 14 सितंबर, 1949 को हिन्दी को भारत की राजभाषा घोषित किया था। भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की धारा 343(1) में यह वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

बैंकिंग में हिन्दी भाषा का महत्व : –

1. वित्तीय समावेशन में सहायक : –

राष्ट्रीय व्यवहार में हिन्दी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है। हिन्दी के उपयोग से बैंक को वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। अगर पिछले 70 वर्षों के दौरान, बैंकिंग देश के हर कोने तक नहीं पहुंच पाई है, तो इसका कारण है आम लोगों की भाषा और बैंकिंग उद्योग की भाषा में असमानता होना। यह सरकार और बैंकिंग क्षेत्र की ज़िम्मेदारी है कि देश के हर एक नागरिक तक पहुँचे, उनको बैंकिंग सुविधा प्रदान करें तथा उनके पास एक ऐसी भाषा में औपचारिक बैंकिंग चैनलों की पहुंच हो जो वे समझ सकें। हमें उस भाषा में वित्तीय साक्षरता की व्यवस्था भी करनी चाहिए जिसे वे समझते हैं। वित्तीय साक्षरता वित्तीय समावेशन कार्यक्रम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है और लोग इस विषय में तब दिलचस्पी लेंगे अगर इसे हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में सिखाया जाता है। आम लोगों और बैंकिंग उद्योग के बीच एक गहरी खाई है जिसके फलस्वरूप एक का लाभ दूसरे तक नहीं पहुंच पाता है। हमें इस अंतर को कम करना होगा और हिन्दी इसमें एक पुल की भूमिका निभाने में सक्षम है। हमें विश्वास है कि हिन्दी हमारा लक्ष्य हासिल करने में हमारी मदद करेगी। हिन्दी के उपयोग के ज़रिए हम वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

2. बेहतर बैंकिंग सेवा : –

संवैधानिक रूप से हिन्दी देश की राजभाषा है और देश की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। हिन्दी आम बोलचाल की 'महाभाषा' है।

हिन्दी सरलता, बोधगम्यता और शैली की दृष्टि से विश्व की भाषाओं में महानतम स्थान रखती है। हिन्दी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि देश में सर्वत्र बोली जाने वाली भाषा है। सरल एवं बहुदा बोली जाने वाली भाषा होने के कारण बैंक कर्मचारियों को बैंक एवं भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सेवाओं के प्रचार – प्रसार में सहायता मिलती है। चूँकि बैंक कर्मचारी कई बार विभिन्न राज्यों से होते हैं और उनको विभिन्न राज्यों में काम करना पड़ता है, इसलिए हिन्दी ही उनके लिए अपने भाव प्रकट करने का उचित माध्यम सिद्ध होती है। एक सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि हिन्दी या क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान कार्यकुशलता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता है। भारत में अभी भी असाक्षरता का अंश मौजूद है जिस कारण बैंकिंग सेवा जन – जन तक पहुंचाने में मुश्किल होती है मगर हिन्दी भाषा बेहतरीन बैंकिंग सेवा देने में सहायक सिद्ध हुई है।

3. एक समता वाली भाषा : –

हिन्दी भाषा एक समता की भाषा है जो कि किसी तरह का भेदभाव नहीं करती जैसा कि हमें अंग्रेज़ी भाषा में देखने को मिलता है, उदाहरण के लिए अंग्रेज़ी भाषा में कैपिटल शब्द एवं स्मॉल शब्द भेदभाव को दर्शाता है मगर हिन्दी भाषा इस तरह का भेदभाव नहीं करती। भाषा और भावना एक साथ चलती हैं। अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए भाषा बहुत ज़रूरी है और भारत में हिन्दी ही वो भाषा है जिससे कि हम अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं और बिना किसी झिझक या रुकावट के इस एक समता वाली भाषा का प्रयोग करते हुए समता की भावना का प्रचार – प्रसार कर सकते हैं। भाषा हमारे सोचने के तरीके को स्वरूप प्रदान करती है और निर्धारित करती है कि हम क्या–क्या सोच सकते हैं। सुभाषचंद्र बोस जी ने भी हिन्दी के महत्व को समझते हुए कहा था कि प्रान्तीय ईर्ष्या–द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता हिन्दी प्रचार से मिलेगी, उतनी दूसरी किसी चीज़ से नहीं मिल सकती है । भारत देश में अनेक राज्य हैं और उन सभी राज्यों की भी अपनी अलग–अलग भाषाएं हैं। इस प्रकार भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है लेकिन उसकी अपनी एक राजभाषा है जो कि हिन्दी है। इस तरह हिन्दी भाषा एक समता वाली भाषा होने के कारण देश में भी एक समता की भावना का प्रवाह करती है।

4. ग्राहक जागरूकता में सहायक :–

बढ़ती तकनीक के इस युग में हैकिंग का मुद्दा बड़ा खतरा है। गरीब लोगों को पोंजी योजनाओं के माध्यम से लूट लिया जाता है और वे

अपनी आजीवन कमाई खो देते हैं। तकनीक का उपयोग करते समय साइबर सुरक्षा और देखभाल के बारे में ग्राहकों को संवेदनशील बनाने की हमारी ज़िम्मेदारी है। हिन्दी भाषा इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने में हमारी सहायता करती है। वर्तमान युग में बैंकिंग मैनुअली रूप से कहीं आगे बढ़कर कंप्यूटर और मोबाइल पर आ गई है। अधिक से अधिक लोगों तक आसान पहुँच के लिए बैंकिंग प्रतिनिधियों के माध्यम से बैंकिंग सुविधाओं को उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि बैंकिंग का दायरा बढ़ता है और इसके साथ ही बैंकिंग से जुड़े मुद्दे भी बदल रहे हैं। जनमानस की भाषा की क्षमता और महत्व को समझते हुए बैंकिंग सेवाओं को उसी भाषा में देना उचित है जिससे कि लोगों को बैंकिंग सेवाओं की जानकारी सरलता से प्राप्त हो सके। देश के जनमानस से सम्पर्क साधने का इस से उचित कोई और माध्यम नहीं हो सकता है।

5. एकता सूत्र की भाषा : –

हिन्दी देश की एकता की कड़ी है। हिन्दी के द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। हमें हमेशा किसी न किसी का साथ चाहिए होता है इसीलिए हम एक समाज की रचना करते हैं जिसमें कि हमारे अहम विचार अक्सर एक–दूसरे से मेल खाते हैं। और यही कारण है कि अलग – अलग समाजों के अलग – अलग रीति रिवाज होते हैं। जैसे–जैसे व्यावहारिक तौर पर लोगों के रहने की जगहों में दूरी आती है तो वैसे ही इसी कारण उनके खान – पान, रहन – सहन में बहुत भिन्नता होती है। परंतु हमें एक जुट बाँधने में इस सुंदर भाषा का एक अपना योगदान है। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। उनके खान–पान, रहन–सहन और वेश–भूषा अलग–अलग हैं पर

एक हिन्दी ही है जो सभी धर्मों के लोगों को एकता में जोड़ती है। हिन्दी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्त्रोत है। हिन्दी और इसकी बोलियाँ उत्तर एवं मध्य भारत के विविध प्रांतों में बोली जाती हैं। भारत और विदेश में 60 करोड़ से अधिक लोग हिन्दी बोलते, पढ़ते और लिखते हैं। फ़िजी, मॉरिशस, गयाना, सूरीनाम की अधिकतर और नेपाल में कुछ लोग हिन्दी बोलते हैं। बैंकिंग में इस भाषा का प्रयोग कर्मचारियों, ग्राहकों एवं बैंक से जुड़े अन्य लोगों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए देश को एकता के सूत्र में पिरोता है।

चिंताजनक तथ्य :–

एक तरफ हिन्दी आगे बढ़ रही है तो दूसरी तरफ हिन्दी की कक्षा में पढ़ने वाला छात्र जब अपने शिक्षक से कक्षा में प्रवेश की अनुमति चाहता है तो कहता है मे–आई–कम इन–सर। इसका दुःखद पहलू तो यह भी है कि जो लोग हिन्दी के विकास की बात करते हैं वे स्वयं भी इसका अनादर करने से बाज नहीं आते। यद्यपि हमारी राष्ट्र भाषा हिन्दी है, फिर भी हम वार्तालाप करते समय अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग करते हैं, भले ही वह अशुद्ध अंग्रेज़ी हो। आमतौर पर लोग कर्नाटक को कर्नाटका, केरल को केरला कहने में गर्व महसूस करते हैं। उसी प्रकार आम बोल–चाल की भाषा में हिन्दी के साथ अंग्रेज़ी का प्रयोग बढ़ रहा है और लोग दोष एक–दूसरे पर मढ़ रहे हैं लेकिन इसके लिए सार्थक प्रयास कहीं नहीं दिख रहा है। शासकीय कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने का आदेश तो दिया जाता है लेकिन इसका परिपत्र भी अंग्रेज़ी में लिखा जाता है। अंग्रेज़ी भाषा आज इतनी व्याप्त हो गई है कि घर में छोटा बच्चा जब ट्विंकल – ट्विंकल लिटिल स्टार की कविता सुनाता है तो अभिभावकों का सीना गर्व से फूल जाता है। पहले प्राथमिक कक्षा में हिन्दी की बारहखड़ी सिखाई जाती थी। इससे मात्राओं और शुद्ध उच्चारण का ज्ञान होता था। अब बच्चों में हिन्दी भाषा का ज्ञान औपचारिकता तक सिमट गया है।

जिस देश में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक कभी हिन्दी का ही बोलबाला रहा हो, वहां आज इस भाषा को अपने अस्तित्व के लिए जूझना पड़ रहा है। यह किसी दुर्भाग्य से कम नहीं कि जिस हिन्दी को हजारों लेखकों ने अपनी कर्मभूमि बनाया, जिसे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने भी देश की शान बताया, उसे देश के संविधान में राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि सिर्फ राजभाषा की ही उपाधि दी गई। हिन्दी को आज उसका वह सम्मान नहीं मिल सका जिसकी उसे ज़रूरत थी। आर्थिक युद्ध का एक सूत्र है कि किसी राष्ट्र को नष्ट करने का तरीका है, उसकी मुद्रा को खोटा कर देना और यह भी उतना ही सत्य है कि किसी राष्ट्र की संस्कृति और पहचान को नष्ट करने का तरीका है, उसकी भाषा को हीन बना देना। यदि विचार भाषा को भ्रष्ट करते हैं तो भाषा भी विचारों को भ्रष्ट कर सकती है। लोग शायद भूल चुके हैं कि ब्रिटिश नौकरशाह मैकाले ने अपनी कूटनीति के तहत ही भारत पर अंग्रेज़ी थोपी थी और हमारी भाषा संस्कृति पर सुनियोजित ढंग से प्रहार किया। इसका असर यह हुआ कि अंग्रेज़ी शासक की भाषा बनी और हिन्दी को गुलामी का दर्जा मिला जो आज तक बदस्तूर जारी है। विशेषतौर पर युवाओं के बीच तो हिन्दी जैसे गुम सी होती जा रही है। आज के युवा मानते हैं कि हिन्दी हमारी मातृभाषा है और हमें इसे बोलना चाहिए, पर अच्छा करियर बनाने के लिए और बेहतर नौकरी के लिए अंग्रेज़ी का प्रयोग हमारी मज़बूरी बन गया है।

आवश्यक कदम:–

आज मन की तहों में हिन्दी के प्रति सौतेलेपन की बीमारी जड़ से मिटाने की इच्छा जगाने की आवश्यकता है। हिन्दी हमारे देश की भाषा है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए कि हम हिन्दी भाषी हैं। हमें देश की भाषा का सम्मान करना चाहिए। हिन्दी भाषा हमारे देश की धरोहर है। जिस तरह हम अपने तिरंगे को सम्मान देते हैं, उसी प्रकार अपने देश की भाषा को भी सम्मान देना चाहिए। हम सरकारी कार्यालय या जहां भी कार्य करते हैं, हमें हिन्दी में ही कार्य करना चाहिए। हम सभी को मिलकर अंग्रेज़ी मानसिकता का परित्याग करना चाहिए और हिन्दी का प्रयोग करने में गर्व अनुभव करना चाहिए। भारत देश विविधताओं का देश है। हिंदी भाषा भारत के वासियों को जोड़ने का काम करती है। एक सूत्र में पिरो कर रखती है। देश की विभिन्न प्रकार की नीतियों को कार्यान्वयन में लाने के लिए लोगों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है जिसमें हिंदी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आजादी की लड़ाई में हिन्दी ने विशेष भूमिका निभाई। जहां एक ओर रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा का ज्ञाता होते हुए भी हिन्दी को ही जनमानस की भाषा बताया तो वहीं देश के क्रांतिकारियों ने जनमानस से संपर्क साधने के लिए इसी भाषा का प्रयोग किया। आज के समय में देश के विकास के लिए हिन्दी भाषा की भूमिका और भी महत्वपूर्ण है।

आधिकारिक भाषा हिंदी के सरलीकरण हेतु कुछ सुझाव: –

1. जिन शब्दों को आम तौर पर समझा जाता है, उन्हें आधिकारिक काम में तेजी से उपयोग किया जाना चाहिए और देवनागरी में अन्य भाषाओं के लोकप्रिय शब्दों का उपयोग करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।
2. सरल हिंदी का उपयोग करके नोट्स और वाक्यों को लिखना चाहिए ताकि इसे आसानी से समझा जा सके। यह महत्वपूर्ण है कि पाठकों को समझना चाहिए कि लेखक वास्तव में क्या व्यक्त करना चाहता है।
3. जहां भी यह महसूस किया जाता है कि पाठकों को हिंदी में किसी विशेष तकनीकी शब्द को समझना मुश्किल है, तो यह

सहायक होगा कि इसका अंग्रेज़ी समकक्ष देवनागरी में उपयोग किया जाए।

आधिकारिक भाषा हिंदी के सरलीकरण हेतु उठाए गए कदम : –

केन्द्र सरकार के कार्यालयों और संगठनों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्यालयीन कामकाज़ में हिंदी प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रयास किए गए हैं। अनुभव बताता है कि केन्द्र सरकार के कार्यालयों और संगठनों में बड़ी संख्या में कर्मचारी अपने क्रियाकलापों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने के इच्छुक हैं। परंतु, पर्याप्त तकनीकी सुविधाओं के अभाव में हिंदी भाषा का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से नहीं कर पाते हैं। सरकार द्वारा हिंदी में सहजता से कार्य करने के लिए प्रभावी साधनों को मुहैया कराने पर विचार किया गया है। हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आधुनिक तकनीक को समावेशित करते हुए उन लोगों की समस्या का समाधान हुआ है, जो हिंदी में कार्य करने के इच्छुक हैं। परंतु, पर्याप्त सुविधा के अभाव में ऐसा करने से झिझक रहे हैं।

सरकारी कार्यालयों में सरल व प्रभावी तरीके से हिंदी में कार्य करने के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयरों के विकास हेतु राजभाषा विभाग ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की कंप्यूटिंग कंपनी नामत:, सी–डैक, पुणे के साथ एक समझौता किया है। पिछले कुछ वर्षों में विकसित सॉफ्टवेयरों में हिंदी भाषा का स्वयं शिक्षण (लीला–श्रृंखला), मंत्रा श्रृंखला द्वारा चुने गए कार्यक्षेत्रों में अंग्रेज़ी से हिंदी त्वरित अनुवाद, हिंदी डिक्टेशन के लिए श्रुतलेखन सॉफ्टवेयर, अंग्रेज़ी स्पीच की पहचान कर उसे हिंदी में अनुवाद के लिए वाचांतर सॉफ्टवेयर शामिल है।

निष्कर्ष:–

आज हिन्दी राजभाषा, सम्पर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, जनभाषा के सोपानों को पार कर विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। हिन्दी उन सभी गुणों से अलंकृत है, जिनके बल पर वह विश्व की साहित्यिक भाषा की अगली श्रेणी में समासीन हो सकती है। भाषा विकास क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी हिन्दी प्रेमियों के लिए बड़ी सन्तोषजनक है कि आने वाले समय में विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय महत्त्व की जो चन्द भाषाएँ होंगी उनमें हिन्दी भी प्रमुख होगी। हिन्दी भाषा का अध्ययन विश्व के कई विश्वविद्यालयों में किया जाता है। कम्प्यूटर में अब ऐसे भी सॉफ्टवेयर हैं जिसमें अपनी बात अंग्रेज़ी में लिखो और उसका हिन्दी रूप सामने आ जाता है। इसके अलावा धीरे–धीरे ही सही हिन्दी अपना अस्तित्व बढ़ाती जा रही है। विश्व की विभिन्न भाषाओं में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली इस भाषा को अहिन्दी भाषी राज्यों में पढ़ा और समझा भी जाने लगा है। देश के लेखको ने हिन्दी के ऊपर कई गीत और रचनाएँ लिखी है जिसमें से एक है ''हिन्दी हैं हम, वतन है हिन्दोस्तान हमारा'' । ये शब्द देश की शान में लिखे गए हैं और हमें गर्व महसूस कराते हैं। अपने अन्दर और दिलो दिमाग में यह सोच होनी चाहिए कि 'पहले अपना देश आता है, बाद में दूसरा देश आता है'।

''इक दिन ऐसा भी आएगा
हिन्दी का परचम लहराएगा
इस राष्ट्र भाषा का हर ज्ञाता
भारतवासी कहलाएगा''

बैंकिंग के मामले में सरकार के लक्ष्य ऊंचे हैं और वो दिन दूर नहीं जब देश की कामयाबी का परचम पराकाष्ठा पर लहरा रहा होगा, ऐसी उंचाई पर होंगे जहां से एक खुशहाल एवं सम्पन्न समाज को देखा जा सके और भारत फिर से सोने की चिड़िया वाला देश कहलाएगा। इन सब के बीच बैंकिंग में हिन्दी की सहायता से हर आम जन को अपने साथ जोड़ते हुए आत्मविश्वास एवं खुशहाल संपन्न एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो रहा है।

जय हिन्द, जय भारत।

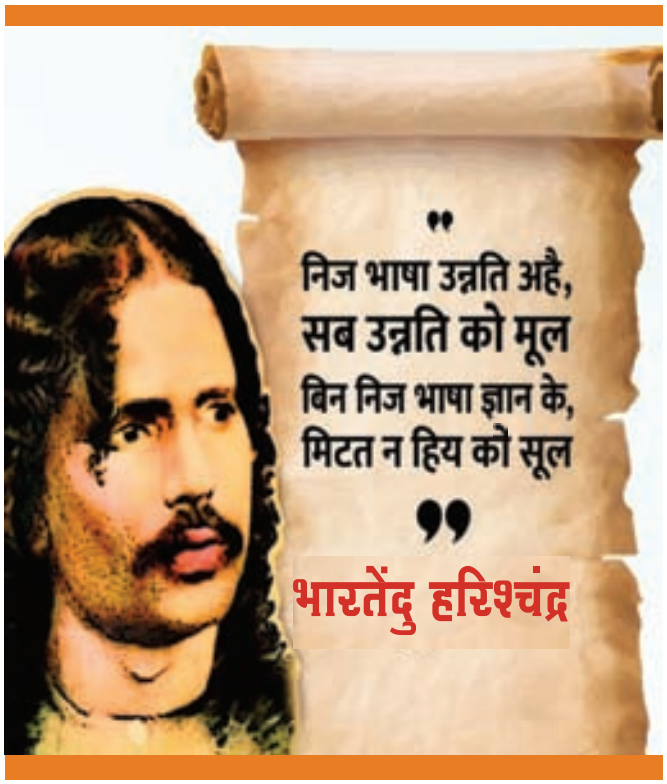

आलेख

आओ.... हिंदी अपनाएं...

अल्पना शर्मा
लिपिक
गंगा नगर शाखा, मेरठ

आज कॉपी-पेन लेकर हिन्दी भाषा पर लेख लिखने बैठी तो लगा जैसे पिछले कुछ सालों से यह भाषा सिर्फ हिन्दी पखवाड़ों और कुछ पुराने लोगों के माध्यम से ही जीवित रहने की जंग लड़ रही है। मैं खुद एक अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल में पढ़ी हूँ, जहाँ राहुल सांकृत्यायन और प्रेमचंद के मुकाबले शेक्सपियर को महत्व दिया जाता रहा है, पर हिन्दी भाषा से मेरा रिश्ता घर से ही शुरू हुआ। मैंने शाम की चाय पर माँ और नानी के बीच कहानियों और उनके पात्रों पर चर्चा होते देखी है। मेरे पिता हिन्दी साहित्य से जुड़े हैं और जाने - माने कवि हैं। अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल से जितना मैं इंग्लिश नोवेल्स की तरफ आकर्षित होती थी, उतना ही घर की बातों से हिन्दी के प्रति झुकती जाती थी।

बचपन में माँ-पापा एक बार मुझे शहर की उन दिनों 'मॉडर्न' कही जाने वाली लाइब्रेरी लेकर गए थे। एक छोटी-सी जगह में इतनी किताबें ठूँस दी गई थी कि चाचा-चौधरी किताब ढूँढने में मैंने किताबों के कई चट्टे गिरा दिए थे। हम काउन्टर तक किताबें लेकर पहुँचे और भीड़ इतनी थी कि हम 15-20 मिनट इंतजार करते रहे, फिर मुश्किल से याद किया हुआ अपना कार्ड नंबर उन्हें बताया। उन्होंने अपनी मोटी सी बही निकाली और किताबें चढ़ा ली। यह बात है वर्ष 2000-2001 की है, जब इंटरनेट इतना प्रचलित नहीं था। उस समय लोग रील्स की जगह किताबें पढ़ा करते थे। गृहिणियाँ बुनाई-सिलाई के डिजाइन गृहशोभा से देखती थी और कुकिंग चैनल्स की जगह तरला दलाल को पढ़ती थी। मैं आज भी उसी लाइब्रेरी में जाती हूँ। जिस वीरान पड़ी लाइब्रेरी में अब कोई नहीं जाता, किसी के पास वक्त ही नहीं है। खेद की बात है कि आजकल की तथाकथित प्रगतिशील युवा पीढ़ी ने पुस्तकालयों का कलेवर ही बदल दिया है। हमारा कार्ड नंबर अब उन अंकल को जबानी याद है, बिना कहे ही वो बही निकाल लेते हैं।

हिन्दी से जुड़ी वो किताबें अब भी वहीं धूल खा रहीं हैं। उन किताबों ने सब देखा है, पहले किताबों की सॉफ्ट कॉपी आई, फिर ऑडियो बुक्स आई और अब तो जैसे पढ़ने वाले ही नहीं रहे। हिन्दी में हर तरह का साहित्य उपलब्ध है। अगर आप भाषा की विविधता को परखना चाहें तो जय शंकर प्रसाद की खड़ी बोली की कविताएँ पढ़ सकते हैं, राहुल सांकृत्यायन के यात्रा वृत्तान्त आपको विश्व दर्शन के साथ-साथ साहित्यिक ज्ञान भी देंगे, प्रेम और पारिवारिक संबंधों के लिए आप मन्नू भंडारी पढ़ सकते हैं। आशापूर्णा देवी आपका परिचय हमारे सामाजिक परिवेश से जुड़ी समस्याओं से करा देंगी और प्रेमचंद के जरिए आप जमींदारी और उस समय के संघर्षों को समझ सकते हैं। पुराने लोग कह गए हैं कि किताबों में हर तरह का ज्ञान है, बस पढ़ने वाले की ज़रूरत है। अगर आप अब भी किताबों से दोस्ती करना चाहें तो आपके शहर में भी आपको ऐसे कई पुस्तकालय मिल जाएंगे, जिन्होंने अब भी उन अनमोल किताबों को सहेज रखा है।

एक सर्वे के अनुसार भारत में 41% भारतीय हिन्दी भाषा का प्रयोग करते हैं फिर भी हम हर साल हिन्दी दिवस मनाते हैं। एक सवाल अक्सर मेरे दिमाग में आता है, आखिर भारत में ही क्यों हिन्दी दिवस मनाने की जरूरत पड़ी? क्या आपने कभी सुना है कि जर्मन डे या चाइनीज़ डे मनाया जा रहा है? हाल ही में हमारा परिवार घूमने के लिए भारत के दक्षिणी छोर तक जा पहुँचा। वहाँ जाकर हमें एहसास हुआ कि 'एक देश-एक भाषा' को क्यों ज़रूरी समझा जाने लगा है। वहाँ के वासी दूसरी भाषा को जानते हुए भी अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं और इस वजह से हमें वहाँ खासी दिक्कत उठानी पड़ी। वहाँ की बसों तक में सिर्फ क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग होता है। भारत की आधिकारिक भाषा होने के बावजूद हम आजादी के 77 साल बाद भी हिंदी को उसका उचित सम्मान नहीं दिला पाए।

मेरे एक सहकर्मी जिन्हें मैं अपनी हिंदी की कहानियां पढ़ा दिया करती हूँ और वो काफी चाव से पढ़ते भी हैं उन्होंने हाल में ही मुझे राय दी कि मैं अंग्रेज़ी भाषा में भी लिखा करूँ। मैं अक्सर अपनी कहानियों में आपसी रिश्तों और कोमल संबंधों की गुत्थियाँ सुलझाने का प्रयास करती हूँ। उन अनुभूतियों को विदेशी भाषा में तो समझाया नहीं जा

सकता। उदाहरण के तौर पर– मैंने अपनी एक कहानी में अपनी पात्र, करीमन बुआ के घर के सामने सस्ती कंगूरे वाली झालर लटकाई थी। अब इसे आप अंग्रेज़ी भाषा में समझा ही नहीं पाएंगे। ज्यादा जतन करने पर शायद इसका भाव ही मिट जाए। इस बात पर मेरे सहकर्मी ने भी मेरा समर्थन किया। अब अगर हिन्दी भाषा में लिखा और पढ़ा ही ना जाए तो ऐसी कितनी ही बातें अनकही रह जाएंगी।

मेरी व्यक्तिगत राय में हिंदी भाषा का महत्व समझने के लिए बड़ी–बड़ी गोष्ठियों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपने घर से ही शुरूआत कर सकते हैं। आज इस प्रतिस्पर्धा वाले जगत में विदेशी भाषाओं से मुँह फ़ेर लेने से काम तो नहीं चलेगा, पर हिन्दी में आपको वो अपनापन और चिर परिचित मित्र मिलेगा, जो आपका परिचय समाज के विभिन्न रूपों से कराएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को विदेशी भाषा के ही साथ–साथ हिंदी भाषा के साहित्य और संस्कृति से परिचित करा देंगे, तो भी काफी है। बच्चों को 'कम हियर' और 'सिट देयर' कहने से उनकी अंग्रेज़ी तो सँवर जाएगी पर हिन्दी से वो उतना ही दूर होते जाएंगे। इस साल हिन्दी दिवस पर अपने कार्यालय से हिंदी में पूरे साल काम करने पर ढेरों पुरस्कार लेते समय हिन्दी के प्रयोग को अपने घर में भी शुरू करें जिससे इस भाषा से जुड़ा साहित्य ज़िन्दा रह सके।

कविता

माँ की याद मातृ दिवस पर ही क्यों आई .....

प्रतीक आर्य
अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, मैसूरु

आज ये माँ क्यों सोशल मीडिया पर बहुत छाई है,
वो माँ तो कभी भी सोशल मीडिया पर नज़र नहीं आई है,
प्यार का उमड़ा ऐसा ज्वार कि दिखता पानी पर जैसे छाई काई है।

बच्चों के लिए कोई माँ हुई कब पराई है,
बेटे के होते क्यों माँ आज वृद्धाश्रम में आई है,
माँ के चक्षु से क्यों फूट पड़ी दु:खद रुलाई है।

दु:खी माँ के मुख से फिर भी बेटे के लिए निकली दुहाई है,
माँ ने कभी वेदना अपनी किसी को नहीं सुनाई है,
संसार चक्र में जन्मदात्री ने क्यों आज पीड़ा पाई है।
उसे तो पता भी नहीं और बेटे ने माँ की फोटो सोशल मीडिया पर लगाई है,
वाह बेटा! क्या तेरी ये माँ तुझे आज ही याद आई है।

कविता

हिन्दी राजभाषा है हिन्दुस्तान की

आशीष रंजन
वरिष्ठ प्रबंधक
अंचल कार्यालय, मणिपाल

एकत्रित होकर हर्षोल्लास के साथ,
प्रत्येक वर्ष हिन्दी दिवस मनाते हैं हम।
राजभाषा में काम करेंगे, संविधान का सम्मान करेंगे,
आओ मिलकर ये कसम खाते हैं हम।।

हिन्दी राजभाषा है हमारे हिन्दुस्तान की,
हिन्दुस्तान के प्रतिष्ठित नागरिक कहलाते हैं हम,
हिन्दी में कार्य करेंगे राजभाषा का मान करेंगे,
हिन्दुस्तानी होने का स्वाभिमान बढ़ाते हैं हम।
राजभाषा में काम करेंगे, संविधान का सम्मान करेंगे,
आओ मिलकर ये कसम खाते हैं हम।।

बहुत ही सरल है यह भाषा बोलचाल की,
बहुत ही सरलता से इसे लिखते, पढ़ते और बोलते हैं हम;
14 सितम्बर को हिन्दी दिवस मना रहे हैं,
10 जनवरी को विश्व हिन्दी दिवस मनाते हैं हम।
राजभाषा में काम करेंगे, संविधान का सम्मान करेंगे,
आओ मिलकर ये कसम खाते हैं हम।।

हिन्दी भाषा तो खुद विविध भाषाओं की जननी है,
देश-विदेश में भी अपना रहे हैं इंटरनेट और कम्प्युटर में,
हिन्दी साहित्य को आदि एवं भक्तिकाल से सुनते आते हैं हम,
आज भी सूर, तुलसी और कबीर की वाणी ही गुनगुनाते हैं हम।
राजभाषा में काम करेंगे, संविधान का सम्मान करेंगे,
आओ मिलकर ये कसम खाते हैं हम।।

पाकिस्तान, नेपाल, ब्रिटेन, मॉरीशस के साथ-साथ,
अन्य 25 से ज्यादा देशों में भी हिन्दी को पाते हैं हम;
यूनेस्को से लेकर संयुक्त राष्ट्र की भाषाओं में ही नहीं,
ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी हिन्दी को पाते हैं हम।
राजभाषा में काम करेंगे, संविधान का सम्मान करेंगे,
आओ मिलकर ये कसम खाते हैं हम।।

आज से और अभी से हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार में,
आओ दिल से हिन्दी भाषा को अपनाते हैं हम,
और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा के सम्मान में,
एक बार फिर दिल से ताली बजाते हैं हम।
राजभाषा में काम करेंगे, संविधान का सम्मान करेंगे,
आओ मिलकर ये कसम खाते हैं हम।।

आलेख

देवनागरी एवं अन्य भारतीय लिपियां

प्राचीन भारत की महत्तम उपलब्धियों में से एक उसकी विलक्षण वर्णमाला है जिसमें प्रथम स्वर आते हैं और फिर व्यंजन जो सभी उत्पत्ति क्रम के अनुसार अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकृत किए गए हैं। इस वर्णमाला को अविचारित रूप से वर्गीकृत तथा अपर्याप्त रोमन वर्णमाला, जो तीन हजार वर्षों से क्रमशः विकसित हो रही थी, पर्याप्त अंतर है।

– ए एल बाशम,
द वंडर दैट वाज इंडिया के लेखक और इतिहासविद्

निशा शर्मा
प्रबंधक
उत्कृष्टता केंद्र, गुरुग्राम

लिपि – ऐसे संकेत अथवा वर्ण जिनके माध्यम से लेखन कार्य किया जा सके, उन्हें लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी लिपि या फिर अंग्रेज़ी को लिखने के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है।

भारतीय लिपियों के बारे में बात करें तो कुछ प्रमुख नाम जो सामने आते हैं वे इस प्रकार हैं–

1. **सिंधु लिपि –** यह लगभग चार हजार वर्ष पुरानी लिपि है। यह आजकल की देवनागरी लिपि जैसी है। इस लिपि में लगभग 500 संकेतों का प्रयोग होता था। लेकिन अगर एक ही संकेत के विविध रूपों को छोड़ दिया जाए तो सिंधु लिपि के संकेतों की संख्या 250 के करीब है। यह लिपि सेलखड़ी, मिट्टी और हाथीदाँत की मुहरों पर पशु–पक्षियों की आकृतियों के साथ उत्कीर्णित की गई है। इनके अध्ययन से पता चलता है कि सिंधु लिपि की पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और दूसरी पंक्ति बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी। इसे चित्र लिपि भी कहा जाता है।

2. **ब्राह्मी लिपि –** प्राचीन भारतीय लिपियों में इसे सर्वश्रेष्ठ लिपि माना जाता है। इस लिपि की वर्णमाला का ज्ञान सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने कराया। सम्राट अशोक ने अपने लेखों में जिस लिपि को 'धम्मलिपि' कहा है उसी को आज हम 'ब्राह्मी' लिपि कहते हैं। भारतीय परंपरा में ब्रह्मा को इसका जनक माना जाता है। इस लिपि में मूल अक्षरों के साथ स्वरों की मात्राओं का रूप देखने को मिलता है और संयुक्त अक्षर भी देखने को मिलते हैं।

3. **खरोष्ठी लिपि –** बौद्ध ग्रंथ 'ललित विस्तार' में जिन लिपियों का उल्लेख किया गया है, उसमें प्रथम स्थान पर 'ब्राह्मी' और दूसरे स्थान पर 'खरोष्ठी' लिपि है। 'खरोष्ठी' का शाब्दिक अर्थ है 'गधे के ओंठ वाली'। 'खरोष्ठी' लिपि की वर्णमाला सरल है। इस लिपि में लिखे गए लेखों की भाषा प्राकृत है। दीर्घस्वरों के लिए इस लिपि में कोई चिन्ह नहीं हैं। इसके साथ ही इसमें संयुक्त अक्षर भी बहुत कम हैं। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। सरल लिपि होने के कारण इसे आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। न केवल अशोक के कुछ शिलालेखों में इसका प्रयोग किया गया है अपितु यूनानियों, शक, क्षत्रप, पल्लव, कुषाण आदि शासकों ने भी इसका प्रयोग किया है। इस लिपि में लिखे गए सर्वाधिक लेख प्राचीन गांधार देश में पाए गए हैं। मोटे तौर पर यदि देखा जाए तो लगभग एक सदी तक इस लिपि का प्रयोग होता रहा है।

4. **कुटिल लिपि –** इसे न्यूनकोणीय लिपि भी कहा जाता है क्योंकि इस लिपि के अक्षरों की खड़ी रेखाओं के नीचे न्यूनकोण बनते हैं। उसे सिद्धमातृका लिपि भी कहा जाता है। यह गुप्त लिपि का ही परिवर्तित रूप है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसके अंत में इसकी पूरी वर्णमाला दी गई है। इसके बहुत से अक्षर नागरी लिपि से मेल खाते हैं। इसके अक्षरों के शीर्ष त्रिकोण के चिन्ह होते हैं।

5. **शारदा लिपि –** चूँकि इस लिपि का उद्भव कश्मीर में हुआ है और कश्मीर की आराध्य देवी शारदा हैं अतः इस लिपि को भी शारदा लिपि कहा गया। इसका जन्म सिद्धमातृका लिपि से हुआ, ऐसा भी माना जाता है। इसका प्रादुर्भाव ईसा की दसवीं सदी से कश्मीर में और उसके बाद उत्तरी–पूर्वी पंजाब में देखने को मिलता है।

6. **गुरुमुखी लिपि –** यह मूलतः सिखों की लिपि है। लगभग संपूर्ण पंजाब प्रांत में इसका उपयोग देखने को मिलता है। सिखों का संपूर्ण धार्मिक साहित्य इसी लिपि में है। पंजाबी भाषा की अधिकांश पत्र – पत्रिकाएं इसी भाषा में प्रकाशित की गई हैं।

7. **कलिंग लिपि –** इस लिपि का प्रयोग कलिंग प्रदेश में 9वीं से 12वीं सदी के बीच हुआ है। गंगवंशी राजाओं द्वारा कलिंग में इसका प्रयोग किया गया था। इसमें तीन शैलियां पाई गई हैं। जो आरंभिक लेख हैं उनमें मध्यदेशीय और दक्षिणी प्रभाव पाया जाता है। अक्षरों के सिरे वर्गाकार हैं। प्रारंभिक शैली के अक्षर वर्गाकार हैं परंतु बाद में कन्नड, तेलुगू लिपि के प्रभाव में आकर वे गोलाकार होते चले गए हैं।

8. **गुजराती लिपि –** इसका उद्भव नागरी लिपि से हुआ है। पूर्व में जब यह गुजरात प्रांत में प्रयोग में लाई जाती थी तो इस पर शिरोरेखा देखने को मिलती थी परंतु बाद में वह धीरे–धीरे विलुप्त हो गई।

9. **ग्रंथ लिपि –** तमिलनाडु में सेलम, मदुरै, तिरुनेलवेली और प्राचीन त्रावणकोर में इस लिपि का प्रयोग होता था। इसका प्रयोग लगभग सातवीं सदी में होने लगा था। पांड्य, चोल एवं पल्लव राजाओं ने अपने अभिलेखों के लिए इसका प्रयोग करना आरंभ किया था। इसे पल्लव–ग्रंथ लिपि भी कहा जाता था। महाबलीपुरम के रथ और राजसिंह के कैलाशनाथ मंदिर के शिलालेख इसके अप्रतिम उदाहरण हैं।

10. **तेलुगु – कन्नड लिपि –** इन दोनों लिपियों में काफी साम्य है। ऐसा माना जाता है कि दोनों का उद्भव एक ही साथ हुआ है। चालुक्य शासकों के अभिलेखों में इसका आरंभिक उपयोग दिखता है। तेरहवीं सदी के बाद इन दोनों लिपियों का विकास स्वतंत्र रूप से अलग–अलग हुआ।

11. **मोडी लिपि –** इस लिपि को अतिशीघ्रता से लिखा जाता है, परिणामतः इसके अक्षरों में तोड़–मरोड़ आ जाती थी, इसीलिए इसे लिपिशास्त्रियों ने मोडी लिपि का नाम दिया। महाराज शिवाजी और पेशवा काल में इसका अत्यधिक प्रयोग हुआ। विद्वानों के अनुसार यादव राजाओं के मंत्री 'हेमाद्रि' ने इस लिपि का निर्माण किया था।

12. **बंगला लिपि –** पूर्वी भारत में लगभग ग्यारहवीं सदी के आस–पास पहली बार यह लिपि देखने को मिलती है। जबकि इससे पूर्व आठवीं सदी में पाल राजाओं के शासन काल में इसका प्रयोग हुआ। यह असमिया लिपि से काफी समानता रखती है और इन दोनों लिपियों का विकास भी एक ही साथ हुआ।

उक्त लिपियों के अतिरिक्त तमाम ऐसी लिपियां हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। भारतीय लिपियों में से ऐसी कई लिपियां हैं जो अत्यंत प्राचीन होने के कारण आज भी पुरातत्वविदों के लिए एक चुनौती बनी हुई हैं। फिर भी, जो लिपियां पढ़ी जा सकी हैं उन्होंने न केवल इतिहास को जानने में, सभ्यताओं के विकसित होने में बल्कि भाषा, साहित्य एवं संस्कृतियों के प्रसारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

राजभाषा हिंदी के परिप्रेक्ष्य में आइए अब देवनागरी लिपि की बात करते हैं।

देवनागरी लिपि – गुप्त और कुटिल लिपियों से 8वीं सदी में नागरी अथवा देवनागरी लिपि का विकास देखने को मिलता है। इसकी प्रमुख विशेषता इसके अक्षरों के ऊपर की शिरोरेखा है जो अक्षरों की चौड़ाई के समान लंबाई रखती है, जो कि सामान्य तौर पर अन्य लिपियों में नहीं पाई जाती। समय के साथ इस लिपि का नाम 'ग्रंथलिपि' पड़ गया। इसके बारे में सर्वाधिक मान्य मत है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग पहली बार किए जाने के कारण इसका नाम नागरी पड़ा।

मध्यकाल में देवनागरी – भारत में मुस्लिम शासन काल के प्रारंभ से लेकर सम्राट अकबर के काल तक राजस्व विभाग में हिंदी भाषा और देवनागरी का ही प्रयोग किया जाता था। महमूद गजनवी ने अपने राज्य में जो सिक्के चलाए उन पर भी देवनागरी लिपि में लिखी संस्कृत का प्रयोग किया था। देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी परिपत्र सम्राट अकबर के दरबार से निर्गत किए जाते थे जिनके माध्यम से अधिकारियों, न्यायधीशों, गुप्तचरों, सैनिकों और प्रजाजनों को विभिन्न सूचनाएं और आदेश दिए जाते थे। इस प्रकार के चौदह पत्र तो आज भी राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर में सुरक्षित हैं। इस्लाम के भारत आगमन पर संस्कृत का स्थान जैसे ही फारसी ने लिया तो देवनागरी का बोलबाला स्वतः ही कम हो गया। हालांकि औरंगजेब के काल में अदालती मामलों में फारसी का प्रयोग होता था मगर राजस्व संबंधी कार्यों में अभी भी देवनागरी का प्रयोग किया जाता था। शेरशाह सूरी ने तो अपनी राजमुद्राओं पर भी देवनागरी का प्रयोग बहुतायत में किया और उसके फ़रमान फ़ारसी के साथ-साथ देवनागरी में भी जारी होते थे। मुगल राजकुमारों को हिन्दी की भी शिक्षा दी जाती थी। शाहजहां ने स्वयं दाराशिकोह और शुजा को संकट के क्षणों में बचाने के लिए फ़ारसी की अपेक्षा हिंदी भाषा और हिन्दी अक्षरों में पत्र लिखा था। मुगल बादशाहों और मुगल दरबार की हिन्दी कविताएं आज भी सुरक्षित हैं।

आधुनिक काल में देवनागरी – उन्नीसवीं शताब्दी के मध्यकाल में एक तरफ अंग्रेज़ों के आधिपत्य के कारण अंग्रेज़ी के प्रचार-प्रसार का अभियान चलाया जा रहा था तो दूसरी तरफ राजकीय कामकाज में और कचहरी में उर्दू प्रचलित थी। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक उर्दू की व्यापकता थी। खड़ी बोली का अरबी-फारसी रूप लिखने-पढ़ने की भाषा तक ही बाकी बचा था।

इसके बाद कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष विलियम जोंस के 1784 एक लेख से देवनागरी लिपि के आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ। 01 मई, 1793 को ईस्ट इंडिया कंपनी शासन का संविधान लागू हुआ, जिसके प्रथम अनुच्छेद की तृतीय धारा में देवनागरी लिपि को सरकारी स्वीकृति प्राप्त हुई। 1859 में मोनियर विलियम्स ने यह निष्कर्ष दिया कि यह लिपि (देवनागरी) प्रत्येक वर्ण के स्तर पर सर्वाधिक पूर्ण और व्यवस्थित है। यदि देवनागरी में कोई दोष है तो वह यह कि यह दोष रहित है। डॉ राजेन्द्र लाल मित्र पहले भारतीय थे जिन्होंने देवनागरी लिपि आन्दोलन में भाग लिया था और 1864 में पहला शोधपूर्ण लेख लिखा था। विकास की इस श्रृंखला में बिहार में उर्दू के स्थान पर देवनागरी में लिखी हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया।

काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा गठित समिति ने 60 हजार हस्ताक्षरों से युक्त प्रतिवेदन अंग्रेज़ सरकार को दिया। इसमें विचार व्यक्त किया गया था कि संयुक्त प्रान्त में केवल देवनागरी को ही न्यायालयों की भाषा होने का अधिकार है।

देवनागरी के मानकीकरण के प्रयास –

भारत के स्वाधीनता आंदोलनों में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त होने के बाद लिपि के विकास व मानकीकरण हेतु कई व्यक्तिगत एवं संस्थागत प्रयास हुए। सर्व प्रथम बम्बई के महादेव गोविन्द रानाडे ने एक लिपि सुधार समिति का गठन किया। तदन्तर, महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे ने सुधार योजना तैयार की। सन 1904 में बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी पत्र में देवनागरी लिपि के सुधार की चर्चा की। परिणाम स्वरूप देवनागरी के टाइपों की संख्या 190 निर्धारित की गयी और इन्हें 'केसरी टाइप' कहा गया।

आगे चलकर सावरकर बंधुओं ने 'अ' की बारहखड़ी का प्रयोग करने का सुझाव दिया (अर्थात 'ई' न लिखकर अ पर बड़ी ई की मात्रा लगाई जाए)। डॉ गोरख प्रसाद ने सुझाव दिया कि मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ अलग से रखा जाए। डॉ. श्यामसुन्दर दास ने अनुस्वार के प्रयोग को व्यापक बनाकर देवनागरी के सरलीकरण के प्रयास किए। इसी प्रकार श्रीनिवास का सुझाव था कि महाप्राण वर्ण के लिए अल्पप्राण के नीचे ऽ लगाया जाए। देवनागरी के विकास में अनेक संस्थागत प्रयासों की भूमिका भी अत्यन्त महत्वपूर्ण रही है। 1934 में हिंदी साहित्य सम्मेलन ने नागरी लिपि सुधार समिति के माध्यम से 'अ' की बारहखड़ी और शिरोरेखा से संबंधित सुधार सुझाए गए। इसी प्रकार, 1947 में आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने बारहखड़ी, मात्रा व्यवस्था, अनुस्वार व अनुनासिक से संबंधित महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए। विकास के क्रम में आचार्य विनोबा भावे के सत्प्रयासों से नागरी लिपि परिषद, नई दिल्ली की स्थापना हुई, जो नागरी संगम नामक त्रैमासिक पत्रिका निकालती थी। इसी के साथ 14 सितंबर, 1949 को जब हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया तो संविधान के अनुच्छेद 343 में यह कहा गया कि देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत संघ की राजभाषा होगी। सन् 1966 में मानक देवनागरी वर्णमाला प्रकाशित की गई और 1967 में 'हिंदी वर्तनी का मानकीकरण' प्रकाशित किया गया। 1986 में 'देवनागरी लिपि तथा हिन्दी की वर्तनी का मानकीकरण' प्रकाशित किया गया।

केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी के मानकीकरण का कार्य देश के प्रतिष्ठित विद्वानों और भाषाविदों, हिंदी सेवी संस्थाओं, राज्य सरकारों एवं विभिन्न मंत्रालयों के उच्च

अधिकारियों से विचार-विमर्श करके प्रारंभ किया गया तथा इसके अंतर्गत प्रथमत: 1967 में हिंदी वर्तनी का मानकीकरण नाम से लघु पुस्तिका प्रकाशित की गई थी। विभिन्न हिंदी सेवी संस्थाओं, कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों में इसका नि:शुल्क वितरण कराया गया ताकि अधिक-से-अधिक संस्थाओं में हिंदी के मानक रूप का प्रयोग बढ़े। राजभाषा हिंदी के संदर्भ में सभी मंत्रालयों, राज्यों, सरकारों, शैक्षिक संस्थाओं एन.सी.ई.आर.टी, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि ने भाषा में एकरूपता लाने के लिए इस मानकीकरण को आधिकारिक रूप से अपनाया। नए सूचना प्रौद्योगिकी के युग में हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि तथा वर्तनी के मानकीकरण को पुन: संशोधित और परिवर्धित करने की आवश्यकता महसूस की गई।

संविधान की आठवीं अनुसूची में स्वीकृत भारतीय भाषाओं को देवनागरी लिपि में भी लिखा जा सके इसके लिए विकसित परिवर्धित देवनागरी वर्णमाला में पहले कुछ ही भाषाओं के लिए विशेषक चिन्ह बनाए गए थे। अद्यतन स्थिति के अनुसार भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ शामिल हैं। तदनुसार इस पुस्तिका में जिन भाषाओं की विशेष ध्वनियों के लिए विशेषक चिन्ह सम्मिलित नहीं हैं, उन्हें विकसित करने का कार्य भी किया गया है। इसका संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण वर्ष 2016 में प्रकाशित किया गया। कंप्यूटर में उपलब्ध विभिन्न सॉफ्टवेयर और फॉन्टों के कारण हिंदी भाषा में कार्य करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इन समस्याओं के समाधान के लिए यूनीकोड तैयार किया गया। 1986 में भारतीय लिपियों को कम्प्यूटर पर लिखने के लिए इंस्क्रिप्ट कुंजी पटल मानकीकृत हुआ। बाद में इसमें कुछ संशोधन किए गए। 1991 में भारतीय मानक ब्यूरो ने इस्की (ISCII) मानक स्वीकृत किया। अक्टूबर 1991 में यूनिकोड कॉन्सोर्शियम ने यूनिकोड का प्रथम संस्करण स्वीकार किया जिसमें अन्य कई लिपियों के साथ देवनागरी के लिए भी यूनिकोड निर्धारित किए गए। जुलाई 2010 में भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह स्वीकार किया गया। बाद में इसके लिए यूनिकोड (U+20B9) भी निर्धारित हुआ। अगस्त 2014 में भारत सरकार ने वेबसाइटों के लिए भारत देवनागरी डोमेन-नाम आरम्भ किया देवनागरी का विकास यहाँ तक आ पहुँचा कि जनवरी 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में दुकानों के आगे मराठी भाषा में (देवनागरी में) साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य किया।

भाषा विज्ञान की दृष्टि से देवनागरी –

भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से देवनागरी लिपि अक्षरात्मक (सिलेबिक) लिपि मानी जाती है। लिपि के विकास सोपानों की दृष्टि से चित्रात्मक, भावात्मक और भाव चित्रात्मक लिपियों के अनंतर अक्षरात्मक स्तर की लिपियों का विकास माना जाता है। पाश्चात्य और अनेक भारतीय भाषा विज्ञानियों के मत से लिपि की अक्षरात्मक अवस्था के बाद अल्फाबेटिक (वर्णात्मक) अवस्था का विकास हुआ। सबसे विकसित अवस्था मानी गई है ध्वन्यात्मक (फोनेटिक) लिपि की। देवनागरी को अक्षरात्मक इसलिए कहा जाता है कि इसके वर्ण-अक्षर (सिलेबिल) हैं- स्वर भी और व्यंजन भी। क, ख आदि व्यंजन सस्वर हैं - अकारयुक्त हैं। वे केवल ध्वनियाँ नहीं हैं अपितु सस्वर अक्षर हैं। हिन्दी भाषा में मुख्यतः अरबी और फ़ारसी भाषाओं से आए शब्दों को देवनागरी में लिखने के लिए कुछ वर्णों के नीचे नुक़्ता (बिन्दु) लगे वर्णों का प्रयोग किया जाता है (जैसे क़, ज़ आदि)। किन्तु हिन्दी में भी अधिकांश लोग नुक्तों का प्रयोग नहीं करते। इसके अलावा संस्कृत, मराठी, नेपाली एवं अन्य भाषाओं को देवनागरी में लिखने में भी नुक्तों का प्रयोग नहीं किया जाता है।

देवनागरी के गुण –

- भारतीय भाषाओं के लिए वर्णों की पूर्णता एवं सम्पन्नता (42 वर्ण, न बहुत अधिक न बहुत कम)।
- **एक ध्वनि के लिए एक ही सांकेतिक चिन्ह** – अतः जैसा बोलें वैसा लिखें।
- **लेखन और उच्चारण में एकरुपता** – जैसा लिखें, वैसे पढ़े (उच्चारण करें)।
- **एक सांकेतिक चिन्ह द्वारा केवल एक ध्वनि का निरूपण**– जैसा लिखें वैसा पढ़ें।

  उपरोक्त दोनों गुणों के कारण 'ब्राह्मी' लिपि का उपयोग करने वाली सभी भारतीय भाषाएँ अंग्रेज़ी जैसी भाषाओं की अपेक्षा 'स्पेलिंग की समस्या' से मुक्त हैं।
- **स्वर और व्यंजन में तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक क्रम-विन्यास**– देवनागरी के वर्णों का क्रम विन्यास उनके उच्चारण के स्थान (ओष्ठ्य, दन्त्य, तालव्य, मूर्धन्य आदि) को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ण-क्रम के निर्धारण में भाषा-विज्ञान के कई अन्य पहलुओं का भी ध्यान रखा गया है। देवनागरी की वर्णमाला एक अत्यन्त तर्कपूर्ण ध्वन्यात्मक क्रम (phonetic order) में व्यवस्थित है। यह क्रम इतना तर्कपूर्ण है कि अन्तर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक संघ (IP) ने अन्तर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक वर्णमाला के निर्माण के लिए मामूली परिवर्तनों के साथ इसी क्रम को अंगीकार कर लिया।

- लिपि चिन्हों के नाम और ध्वनि में कोई अन्तर नहीं (जैसे रोमन में अक्षर का नाम 'बी' है और ध्वनि 'ब' है। उसी तरह अक्षर का नाम 'सी' है और ध्वनि 'क' है)
- **लेखन और मुद्रण में एकरूपता** (रोमन, अरबी और फ़ारसी में हस्तलिखित और मुद्रित रूप अलग -अलग हैं)
- देवनागरी, 'स्माल लेटर' और 'कैपिटल लेटर' की अवैज्ञानिक व्यवस्था से मुक्त है।

देवनागरी के कुछ दोष भी हैं, जो मानकीकरण के प्रयासों के बावजूद यथावत हैं क्योंकि व्यावहारिक रूप से अभी भी सामान्य जनता मानकीकृत भाषा को नहीं अपना रही है, जैसे कि :

- द्विरूप वर्ण (ज्ञ, क्ष, त्र, छ, झ, श) आदि को दो-दो प्रकार से लिखा जाता है।
- समरूप वर्ण (ख में र+व का, घ में ध का, म में भ का भ्रम होना)।
- वर्णों को संयुक्त करने की व्यवस्था एक समान नहीं है।
- अनुस्वार एवं अनुनासिक के प्रयोग में एकरूपता का अभाव।
- शीघ्रलेखन नहीं हो पाता क्योंकि लेखन में हाथ बार-बार उठाना पड़ता है।
- वर्णों के संयुक्तीकरण में 'र' विभिन्न रूपों (रेफ़) के प्रयोग को लेकर अनेक लोगों को भ्रम की स्थिति।

देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं – राजभाषा हिंदी तो देवनागरी लिपि में लिखी ही जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाएं भी देवनागरी में लिखी जाती हैं। इनमें वे भाषाएँ भी हैं जो संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल हैं। उनमें से कुछ प्रमुख भाषाएं हैं- संस्कृत, अवधी, कन्नौजी, कश्मीरी, कोंकणी, कुमाँउनी, सिंधी, मैथिली, मराठी और नेपाली आदि।

देवनागरी में टंकण के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले फॉण्ट

- मंगल (फॉण्ट)
- एरियल यूनिकोड
- अपराजिता (Aparajita) - (बैनर या लेख के मुख्य शीर्षक आदि के लिए उपयुक्त है परंतु सामान्य पाठ में इसका प्रयोग करने से बचना चाहिए।
- कोकिला (Kokila) जो कि दिखने में कुछ हद तक चाणक्य जैसा प्रतीत होता है।
- उत्साह (Utsaah) जो दिखने में Krutidev 010 जैसा प्रतीत होता है।

अपराजिता, कोकिला और उत्साह में शीर्षक के लिए अपराजिता, सामान्य पाठ के लिए कोकिला तथा ज्यादा बारीक टैक्स्ट के लिए उत्साह उपयुक्त है तथा एरियल यूनिकोड तो सर्वोत्तम है ।

देवनागरी का नाम यदि वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो भी वास्तव में इसके नाम को चरितार्थ करता है, वास्तव में यह देवों की लिपि प्रतीत होती है। इसीलिए जॉन क्राइस्ट ने भी कहा था – **मानव मस्तिष्क से निकली वर्णमालाओं में से नागरी सबसे अधिक पूर्ण वर्णमाला है।**

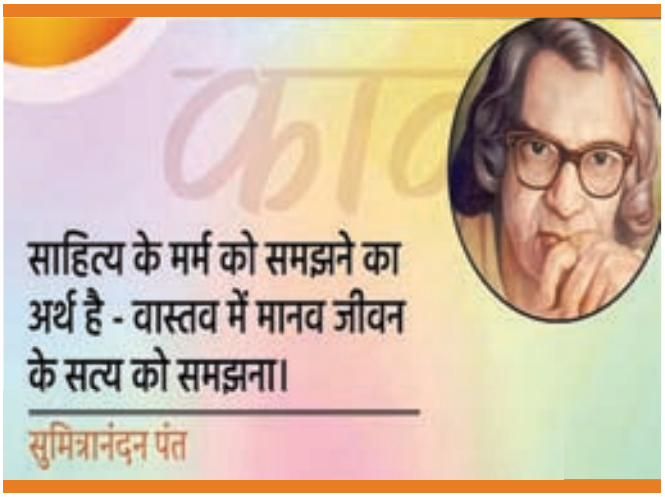

कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है।

– आचार्य रामचंद्र शुक्ल

आलेख

राजभाषा – विशेषताएं एवं स्वरूप

धीरज जुनेजा
अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, सूरत

प्रशासन की भाषा 'राजभाषा' कहलाती है, सरकारी कार्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग होता है तथा राज्य सरकारें जिस भाषा में अपने पत्र आदि केन्द्र सरकार को तथा केन्द्रीय प्रशासन अपने संदेश राज्य सरकारों को संप्रेषित करता है, वह राजभाषा कही जाती है। हमारे देश की केन्द्रीय सरकार हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग करती है। केन्द्र की राजभाषा को 'संघ भाषा' भी कहा जाता है। सरकारी आदेश, आज्ञाएं, विज्ञापन, पत्र-व्यवहार वगैरह इसी भाषा में मुद्रित और प्रसारित होते हैं। प्रदेशों की सांस्कृतिक एकता की स्थापना में भाषा का बहुत अधिक महत्व है।

इस भाषा का प्रयोग मुख्यतः तीन क्षेत्रों – विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में होता है। प्रशासन की भाषा होने के कारण कुछ लोग इसे 'कचहरी की भाषा' भी कहते हैं। इस देश में समय-समय पर कई राजभाषाओं का प्रयोग किया गया है। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में संस्कृत ने राजभाषा का कार्य किया। मौर्यों के शासन का संचालन राज्यभाषा पालि ने किया। मुसलमानों के शासन काल में फारसी राजभाषा बनी और अंग्रेज़ी के शासनकाल में इस स्थान को अंग्रेज़ी भाषा ने ग्रहण किया। अब स्वतंत्र भारत में राजभाषा का सिंहासन हिन्दी को सौंपा गया है।

14 सितम्बर, 1949 ई. को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से हिन्दी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, इसीलिए 14 सितम्बर को प्रति वर्ष सम्पूर्ण देश में 'हिन्दी दिवस' मनाया जाता है। वस्तुतः यह 'दिवस' स्वभाषा – चेतना एवं सभी भारतीय भाषाओं के बीच सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतना ही नहीं, इस दिन भारत सरकार के कार्यालयों तथा प्रादेशिक कार्यालयों में भी विभिन्न तरह की संगोष्ठियाँ, प्रतियोगिताएँ, पुरस्कारों एवं सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है।

राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए केन्द्र सरकार के राजभाषा विभाग के अंतर्गत आठ क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों – कोलकाता, गाज़ियाबाद, गुवाहाटी, मुम्बई, भोपाल, दिल्ली, कोचीन और बेंगलूरु की स्थापना की गई है। मंत्रालयों, केन्द्रीय सरकार के विभागों में राजभाषा के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए 43 हिन्दी सलाहकार समितियाँ स्वीकृत हैं। हिन्दी अब प्रशासन की भाषा बन रही है।

अनुच्छेद 351 के अनुसार हिन्दी के प्रचार – प्रसार के लिए राजभाषा विभाग विभिन्न नियमों, अधिनियमों, संकल्पों और आदेशों का कड़ाई के साथ पालन कर रहा है। यही कारण है कि हिन्दी ज्ञान-विज्ञान, व्यापार-वाणिज्य, विज्ञान, संचार माध्यम तथा सामाजिक नियंत्रण की भाषा हो रही है। कुल मिलाकर भारत के जन कल्याणकारी गणतंत्र में सम्पर्क ओर राजभाषा के रूप में हिन्दी का भविष्य सुखद और प्रीतिकर है।

राजभाषा की विशेषताएं

साहित्यिक हिन्दी में जहाँ अभिधा, लक्षणा और व्यंजना के माध्यम से अभिव्यक्ति की जाती है। राजभाषा हिन्दी में केवल अभिधा का ही प्रयोग होता है। साहित्यिक हिन्दी में एकाधिकार्थता-चाहे शब्द के स्तर पर हो चाहे वाक्य के स्तर पर, काव्य-सौन्दर्य के अनुकूल मानी जाती है। इसके विपरीत राजभाषा हिन्दी में सदैव एकार्थता ही काम्य होती है। राजभाषा अपने पारिभाषिक शब्दों में भी हिन्दी की अन्य प्रयुक्तियों से पूर्णतः भिन्न है। इसके अधिकांश शब्द प्रायः कार्यालयी प्रयोगों के लिए ही उसके अपने अर्थ में प्रयुक्त होते है। जैसे :

1.	आयुक्त	=	Commissioner
2.	निविदा	=	Tender
3.	विवाचक	=	Arbitrator
4.	आयोग	=	Commission
5.	प्रशासकीय	=	Administrative
6.	मन्त्रालय	=	Ministry
7.	उन्मूलन	=	Abolition
8.	आबंटन	=	Allotment

हिन्दी में सामान्यत: समस्रोतीय घटकों से ही शब्दों की रचना होती है। जैसे संस्कृत शब्द निर्धन + संस्कृत भाव वाचक संज्ञा प्रत्यय 'ता' = निर्धनता। किन्तु अरबी–फारसी शब्द गरीब + ता = गरीबता। किन्तु अरबी–फारसी शब्द गरीब + अरबी–फारसी भाव वाचक संज्ञा प्रत्यय 'ई'= गरीबी। हिन्दी में न तो निर्धन+ई=निर्धनी बनेगा और न ही गरीब+ता=गरीबता। लेकिन राजभाषा में काफी सारे शब्द विषम स्रोतीय घटकों से बने है। जैसे :

1. उप किरायेदार = Sub-letting
2. जिलाधीश = Collector
3. उपजिला = Sub-district
4. अमुद्रांकित = Unstamped
5. अपंजीकृत = Unregistered
6. मुहरबंद = Sealed
7. राशन–अधिकारी = Ration-officer

अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, चीनी, रूसी आदि समृद्ध भाषाओं में एक ही शैली मिलती है, पर राजभाषा हिन्दी में एक ही शब्द के लिए कई शब्द हैं। जैसे –

1. कार्यालय –दफ्तर – ऑफिस
2. न्यायालय–अदालत–कोर्ट–कचहरी
3. शपथ–पत्र–हलफनामा–एफिडेविट
4. विवाह–शादी–निकाह

राजभाषा हिन्दी का प्रयोग राजतन्त्र का कोई व्यक्ति करता है जो प्रयोग के समय व्यक्ति न हो कर तंत्र का एक अंग होता है। इसलिए वह वैयक्तिक रूप से कुछ न कहकर निर्वैयक्तिक रूप से कहता है। यही कारण है कि हिन्दी की अन्य प्रयुक्तियों में जबकी कृतवाच्य की प्रधानता होती है, राजभाषा हिन्दी के कार्यालयी रूप में कर्मवाच्य की प्रधानता होती है। उसमें कथन व्यक्ति – सापेक्ष न होकर व्यक्ति – निरपेक्ष होता है। जैसे : 'सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है', 'कार्यवाही की जाए', 'स्वीकृति दी जा सकती है' आदि।

राजभाषा का स्वरूप एवं क्षेत्र :–

स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश शासन काल में समस्त राजकाज अंग्रेज़ी में होता था। सन् 1947 में स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात यह महसूस किया गया कि स्वतंत्र भारत देश की अपनी राजभाषा होनी चाहिए; एक ऐसी राजभाषा जिससे प्रशासनिक तौर पर पूरा देश जुड़ा रह सके। भारतवर्ष के विचारों की अभिव्यक्ति करने वाली सम्पर्क भाषा 'हिन्दी' को 'राजभाषा' के रूप में स्वतंत्र भारत के संविधान में 14 सितम्बर, 1949 में राजभाषा समिति ने मान्यता दी। संविधान सभा में

हिन्दी को राजभाषा घोषित करने का प्रस्ताव दक्षिण भारतीय नेता गोपाल स्वामी अय्यंगर ने रखा था। इससे हिन्दी को देश की संस्कृति, सभ्यता, एकता तथा जनता की समसामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली भाषा के रूप में भारतीय संविधान ने देखा है। 26 जनवरी, 1950 से संविधान लागू हुआ और हिन्दी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता मिली। हमारे संविधान में हिन्दी को राजभाषा स्वीकार किए जाने के साथ–साथ हिन्दी का परम्परागत अर्थ, स्वरूप तथा व्यवहार क्षेत्र व्यापक हो गया। हिन्दी के जिस रूप को राजभाषा स्वीकार किया गया है, वह वस्तुत: खड़ी बोली हिन्दी का परिनिष्ठित रूप है। जहाँ तक राजभाषा के स्वरूप का प्रश्न है इसके संबंध में संविधान में कहा गया है कि इसकी शब्दावली मूलत: संस्कृत से ली जाएगी और गौणत: सभी भारतीय भाषाओं सहित विदेश की भाषाओं के भी प्रचलित शब्दों को अंगीकार किया जा सकता है।

राजभाषा शब्दावली (जैसे : अधिसूचना, निदेश, अधिनियम, आकस्मिक अवकाश, अनुदान आदि) को देखकर यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि इसकी एक अलग प्रयुक्ति है। शब्द निर्माण के संबंध में राजभाषा के नियम बहुत ही लचीले हैं। यहाँ किसी भी दो या दो से अधिक भाषाओं के शब्दों की संधि आराम से की जा सकती है। जैसे 'उप जिला मजिस्ट्रेट', 'रेलगाड़ी' आदि। कहने का तात्पर्य यह है कि राजभाषा के अन्तर्गत शब्द निर्माण के नियम बहुत ही लचीले हैं। राजभाषा का संबंध प्रशासनिक कार्य प्रणाली के संचालन से होने के कारण उसका सम्पर्क बुद्धिजीवियों, प्रशासकों, सरकारी कर्मचारियों तथा प्राय: शिक्षित समाज से होता है। स्पष्ट है कि राजभाषा जनमानस की भावनाओं–सपनों–चिन्तनों से सीधे–सीधे न जुड़कर एक अनौपचारिक माध्यम के रूप में प्रशासन तथा प्रशासित के बीच सेतु का काम करती है। बावजूद इसके सरकार की नीतियों को जनता तक पहुँचाने का यह एक मात्र माध्यम है। साधारण जनता में प्रशासन के प्रति आस्था उत्पन्न करने के लिए यह

आवश्यक है कि प्रशासन का सारा कामकाज जनता की भाषा में हो जिससे प्रशासन और जनता के बीच की खाई को पाटा जा सके। यह राजभाषा हिन्दी सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होकर 'कार्यालयी हिन्दी', 'सरकारी हिन्दी', 'प्रशासनिक हिन्दी' के नाम से हिन्दी के एक नए स्वरूप को रेखांकित करती है। राजभाषा का प्रयोग सरकारी पत्र व्यवहार, प्रशासन, न्याय-व्यवस्था तथा सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जाता है जिसमें पारिभाषिक शब्दावली का बहुतायत प्रयोग किया जाता है। अधिकतर मामले में अनुवाद का सहारा लिए जाने के कारण 'कार्यालयी हिन्दी' अपनी प्रकृति में निहायत ही शुष्क, अनौपचारिक तथा सूचना प्रधान होती है। जहाँ तक 'राजभाषा हिन्दी' के क्षेत्र का प्रश्न है इसके प्रयोग के तीन क्षेत्र हैं: 1. विधायिका, 2. कार्यपालिका और 3. न्यायपालिका। ये राष्ट्र के तीन प्रमुख अंग हैं। राजभाषा का प्रयोग इन्हीं तीन प्रशासन के अंगों में होता है। विधायिका क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले संसद के दोनों सदन और राज्य विधान मंडल के दो सदन आते हैं। कोई भी सांसद/विधायक हिन्दी या अंग्रेज़ी या प्रादेशिक भाषा में विचार व्यक्त कर सकता है, परन्तु संसद में कार्य हिन्दी या अंग्रेज़ी में ही किया जाना प्रस्तावित है। कार्यपालिका क्षेत्र के अंतर्गत मंत्रालय, विभाग, समस्त सरकारी कार्यालय, स्वायत्त संस्थाएँ, उपक्रम, कम्पनी आदि आते हैं। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग प्रस्तावित हैं जबकि राज्य स्तर पर वहाँ की राजभाषाएं इस्तेमाल होती हैं। न्यायपालिका में राजभाषा का प्रयोग मुख्यत: दो क्षेत्रों में किया जाता है - कानून और उसके अनुरूप की जाने वाली कार्यवाही अर्थात् कानून, नियम, अध्यादेश, आदेश, विनियम, उपविधियाँ आदि और उनके आधार पर किसी मामले में की गई कार्रवाई और निर्णय आदि।

राजभाषा के कार्य क्षेत्रों को अधिक स्पष्ट करते हुए आचार्य देवेन्द्रनाथ शर्मा ने 'राष्ट्रभाषा हिन्दी : समस्याएँ एवं समाधान' में लिखा है : 'राजभाषा का प्रयोग मुख्यत: चार क्षेत्रों में अभिप्रेत है- शासन, विधान, न्यायपालिका और कार्यपालिका। इन चारों में जिस भाषा का प्रयोग हो उसे राजभाषा कहेंगे। राजभाषा का यही अभिप्राय और उपयोग है।'

कविता

हिंदी से समृद्धि

प्रदीप राज. एस
वरिष्ठ प्रबंधक
प्रधान कार्यालय, बेंगलूरु

मेरी शिक्षा का पहला अक्षर है हिंदी,
मेरी विद्या का पहला मोती है हिंदी,
एक ही भाषा, मेरी यही है पहचान।

अनेक कवियों का ज्ञान, सुनहरे साहित्य का सम्मान,
इस भाषा में बसे हैं हजारों गीत और संगीत,
इस भाषा ने हमें दिलाया कई बार ज्ञानपीठ।

साधु संतों का ज्ञान सागर है यह हिंदी,
गंगा-जमुना तहज़ीब की भाषा है हिंदी,
हर युग में जीने की आशा है हिंदी।

हर समाज में अमन और शांति का संदेश है हिंदी,
इस भाषा को कौन भुला सकता है,
इस भाषा से कौन दूर रह सकता है।

इस भाषा के लिए आज भी देश में विमर्श क्यों?
इसे राजभाषा स्वीकार करने में इतना संघर्ष क्यों?
अपनी राजभाषा अपनी मिट्टी की है यह पहचान,
आओ हिंदी अपनाएं और देश की संस्कृति का करें सम्मान।

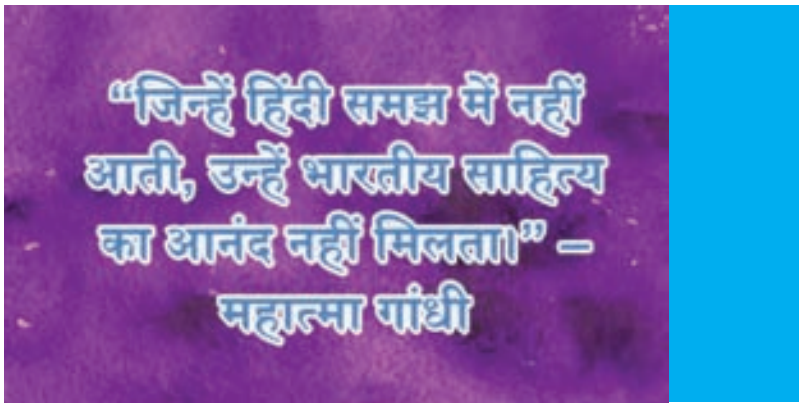

आलेख

भाषा व साहित्य

लीना ज्ञानवानी
अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, मंड्या

हमारा साहित्यिक इतिहास विकसित हो रही भाषाओं को पूरी तरह से परिभाषित करता है जो भाषा की विशाल विविधता में अपनी छाप छोड़ता है। भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें 300 से अधिक बोली जाने वाली बोलियाँ और 400 विभिन्न भाषाएँ हैं। भाषा और साहित्य में विमर्श के रूप में हिंदी को चुनना, न तो संकीर्णता है और न ही अन्य भाषाओं के प्रति आंखें मूंदना है, बल्कि एक आख्यान है जो हमें इसके विकसित होते स्वरूप की यात्रा से परिचित कराता है। अंग्रेज़ी, स्पेनिश और मंदारिन के बाद, हिंदी चौथी सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली पहली भाषा है। भारत में 425 मिलियन से अधिक लोग हिंदी को प्राथमिक भाषा के रूप में उपयोग कर रहे हैं और अन्य 120 मिलियन लोग इसे अपनी दूसरी भाषा के रूप में उपयोग कर रहे हैं।

हिंदी के ऐतिहासिक उद्भव का पता प्रारंभिक इंडो- यूरोपीय भाषाओं से लगाया जा सकता है, जो बाद में इंडो-ईरानी और यूरोपीय भाषाओं में विकसित हुई और अंततः हिंदी का मार्ग प्रशस्त हुआ। इससे इंडो-आर्यन भाषाएं उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पूर्व मध्य क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और मध्य क्षेत्र जैसी क्षेत्रीय बोलियों में फैल गई और इन भाषाओं का आधार संस्कृत रही।

हिंदी का उदय 7वीं शताब्दी के मध्य में हुआ जहाँ संस्कृत भाषा की शाखाएँ अर्थात् पाली, प्राकृत और अपभ्रंश अधिकतर बोली जाती थी। इन बोलियों के वक्ताओं ने अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, मध्य एशिया और अन्य स्थानों के मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ वार्तालाप किया, जिससे आधुनिक मानक हिंदी का विकास हुआ। सूत्र बताते हैं कि अमीर खुसरो (दिल्ली सल्तनत) ने पहली बार 1283 ई. में हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था और उन्हें खड़ी बोली हिंदी का प्रवर्तक माना जाता है। उनकी 'पहेलियां और मुकरियां' आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं। भक्ति आंदोलन हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक था। इसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार, भक्ति काल उस निराशा का परिणाम था जो हिंदू लोगों में व्याप्त थी क्योंकि मुस्लिम आक्रमणकारी उनके मंदिरों को नष्ट कर रहे थे। उनके पास धार्मिक मार्ग अपनाने और ईश्वर से प्रार्थना करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। जहां तक भाषा का सवाल है, इस काल को दो अलग-अलग प्रकार की भक्ति में विभाजित किया गया है, जो उस समय प्रचलित थी - निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, आगे दो में विभाजित - निर्गुण: ज्ञानमार्ग - मुख्य लेखक - कबीर, भाषा: सधुक्कड़ी भाषा - ब्रज, पिंगल, डिंगल, पंजाबी, राजस्थानी आदि का मिश्रण; प्रेममार्ग: मुख्य लेखक - मलिक मुहम्मद जायसी (पद्मावत)। सूफियों को प्रेममार्गी के रूप में जाना जाता था, जो प्रेम को अपनी भक्ति के रूप में इस्तेमाल करते थे। उनकी भाषा मुख्यतः अवधी थी, जिसमें अरबी शब्दों की प्रधानता थी। सगुण: रामभक्ति: मुख्य लेखक: तुलसीदास, भाषा: मुख्यतः अवधी के साथ ब्रज; कृष्णभक्ति - मुख्य लेखक: सूरदास, भाषा: ब्रज।

कई अन्य भाषाओं, विशेष रूप से बंगाली के साथ हिंदी उत्तरी भारत में प्राथमिक भाषाओं में से एक के रूप में विकसित हुई। भारतीय भाषा बोलने वाले हिन्दी क्षेत्र के दो ऐतिहासिक भाग पूर्वी हिन्दी और पश्चिमी हिन्दी हैं। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी की बोलियाँ पूर्वी हिंदी बोलने वालों की बहुसंख्यक आबादी बनाती हैं। पश्चिमी हिंदी बोलियाँ हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कनौजी और खड़ीबोली हैं। पूर्वी हिंदी की सीमा पूर्व में उड़िया और बिहारी की भोजपुरी बोली और दक्षिण में मराठी बोलियों से लगती है। बुन्देलखण्ड का अधिकांश भाग और पूर्व में मध्य प्रान्त का एक छोटा सा क्षेत्र पश्चिमी बोली से आच्छादित है। यह दक्षिण में जमुना घाटी और उत्तर में हिमालय की तलहटी तक पहुँचती है। भक्ति आंदोलन के बाद लगभग 1700-1900 तक का एक संक्षिप्त काल था जिसे रीति काल के नाम से जाना जाता है। यह वह समय था जब भारतीय शासक विलासितापूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे (कंपनी शासन की शुरुआत)। वे कवियों को नियुक्त करते थे, जो ज्यादातर ब्रज में या तो उनकी प्रशंसा की कहानियाँ लिखते थे या प्रेम कहानियाँ ।

अधिकांश लेखन कबीर जैसे भक्ति लेखकों की कविता है, जो अपने दोहों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनका उपयोग आज भी आम भारतीय द्वारा किया जाता है। 16वीं शताब्दी के दौरान तुलसीदास ने प्रसिद्ध रामचरितमानस लिखा जो सबसे मूल्यवान हिंदी लेखन में से एक है, यह महाकाव्य रामायण का एक प्रतिपादन है जिसे सात भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें 'काण्ड' के नाम से जाना जाता है, जिनमें से प्रत्येक भगवान राम के जीवन के एक चरण का वर्णन करता है। इसके अलावा, सूरदास जैसे कई मध्ययुगीन कवियों, जिन्होंने कृष्ण के बचपन और गोपियों के साथ किशोरावस्था के संबंधों के बारे में सूर सागर लिखा था, उन्होंने अपना ध्यान भगवान कृष्ण के जीवन की ओर लगाया। भगवान कृष्ण की भक्ति के बारे में रहीम, भूषण और रसखान ने भी रचनाएँ की हैं। इसके अतिरिक्त, मीराबाई को उस व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिसने भगवान कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग दिया और हिंदी में भक्ति गीत और कविताएं लिखने के लिए समर्पित हो गई।

अंग्रेज़ों के आने के बाद साहित्य का केंद्र बदल गया। यह बदलाव विशेष रूप से हिंदी गद्य लेखन में ध्यान देने योग्य था, जहां अतीत में लौटने और संस्कृत से प्रेरणा लेने की आकांक्षा थी। 1881 में, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी (अंधेरे का शहर) लिखी, जो राजनीतिक व्यंग्य का एक प्रसिद्ध लेख बन गया। भारत दुर्दशा उनकी सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रवादी कृतियों में से एक है। इस काल के एक अन्य महत्वपूर्ण लेखक, जिन्हें महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जाना जाता है, को हिंदी लेखन की एक संपूर्ण शैली बनाने का श्रेय दिया जाता है और उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी से पहले जो हिन्दी लिखी जाती थी वह परिष्कृत नहीं थी। इसमें व्याकरण संबंधी त्रुटियाँ थीं और भाषा का कोई मानकीकरण नहीं था। उन्हें व्याकरण पर बहुत गंभीरता से ध्यान देते हुए एक मानकीकृत और परिष्कृत हिंदी देने का श्रेय दिया जाता है।

इस काल में हिन्दी को आधुनिक काल कहा जाता था। आधुनिक काल को चार भागों में विभाजित किया गया है : भारतेंदु युग (1868-1893), द्विवेदी युग (1893-1918), छायावाद युग (1918-1937), और समकालीन युग (1937-वर्तमान समय)। इसे हिंदी साहित्य का पुनर्जागरण भी कहा जाता है। सबसे उल्लेखनीय छायावाद युग था जिसने गद्य, शब्द और अलंकार (अलंकरण, भाषण का अलंकार) और विषयों की नई शैलियों को लाया जो आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण थे और इस तरह वे साहित्य का विषय बन गए।

स्वामी दयानंद हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा घोषित करने के अभियान के पीछे एक प्रेरक शक्ति थे, जो सभी क्षेत्रों को एकजुट

करती थी। हालाँकि, उन्होंने गुजराती में लिखा, 1875 में प्रकाशित सत्यार्थ प्रकाश उनकी सबसे प्रसिद्ध हिंदी पुस्तक है। हिंदी साहित्य के छायावाद काल के तहत कई हिंदी लेखक जैसे महादेवी वर्मा 20 वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध हिंदी लेखकों में से एक थी, जयशंकर प्रसाद की कामायनी (1936), मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और मैथिली शरण गुप्त, हिंदी साहित्य पर लंबे समय तक प्रभाव डालने वाले अन्य उल्लेखनीय समकालीन लेखक थे। रूढ़िवादी हिंदुओं द्वारा इसके उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों के परिणामस्वरूप हिंदी भाषा में एक औपचारिक कायापलट हुआ जिसने इसे एक साहित्यिक चरित्र प्रदान किया। उन्होंने राष्ट्रवाद और देशभक्ति की प्रबल भावनाओं के साथ-साथ सांप्रदायिक और पुनरुत्थानवादी विचारों का प्रदर्शन किया।

प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की राजभाषा घोषित किया था। सात दशक बाद, हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। राजभाषा अधिनियम, 1963 के तहत देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था।

किसी भी अन्य भाषा की तरह हिंदी भी आधुनिक भाषा के रूप और साहित्य की ओर अग्रसर सामाजिक परिवर्तन के एक बड़े संदर्भ में विकसित हुई है। वैश्वीकरण के कारण अच्छी नौकरियों की संभावना के परिणामस्वरूप अंग्रेज़ी अधिक प्रचलित हो गई, जिसने अंग्रेज़ी-माध्यम स्कूलों में शिक्षा को और अधिक प्रभावित किया। हालाँकि, वर्तमान परिदृश्य चुनौतियों से अधिक अवसर प्रस्तुत करते हैं जहाँ हिंदी वर्तमान समय और भविष्य में भी अपनी कथा जारी रख सकती है। दुनिया भर में प्रमुख सोशल मीडिया साइट, क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व दे रही हैं, जिनमें हिंदी भी प्रचलित है। एनईपी (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020) के तहत हिंदी में तकनीकी पाठ्यक्रमों का अनुकूलन, क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में हिंदी की आवश्यकता कुछ ऐसे विकास हैं जो हिंदी को न केवल प्रासंगिक बनाएंगे बल्कि लगातार विकसित हो रही संस्कृति का एक प्रमुख हिस्सा भी बनाएंगे ।

हिंदी दिवस शुभारंभ कार्यक्रम

हिंदी दिवस शुभारंभ की झलकियाँ

हिंदी दिवस की झलकियाँ

HINDI DAY CELEBRATION

HINDI DAY CELEBRATION

HINDI DAY CELEBRATION

HINDI DAY CELEBRATION

हिंदी दिवस की झलकियाँ

HINDI DAY CELEBRATION

HINDI DAY CELEBRATION

2023

HINDI DAY CE

आलेख

भारतीय बैंकिंग में राजभाषा का महत्व

स्वीटी कुमारी
लिपिक
नैहाटी शाखा

अंकल जी, आप परेशान मत हों, मैं अभी आपको सब समझा देती हूँ, कहते हुए मुझे उसने सरल भाषा में समझाया, नहीं तो जाने क्या गिटर-पिटर करते रहते हैं, हम जैसे लोग तो कुछ समझ ही नहीं पाते। ये शब्द, संतुष्ट होकर बैंक की शाखा से निकल रहे एक ग्रामीण के हैं। वास्तव में भाषा जब अपने मौलिक रूप में विषय के साथ न्याय करती है, तब प्रवाह और विशिष्ट अभिव्यक्तियों का जन्म होता है। यही है बैंकिंग का वास्तविक उद्देश्य, अर्थात ग्राहकों से उनकी ही भाषा में बात करके उन्हें समझाना, बेहतर सेवा देना व अपने बैंक के साथ जोड़ना है।

राजभाषा हिन्दी का शुभारंभ :

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में राष्ट्रीयकरण के बाद राजभाषा अधिनियम 1963, यथासंशोधित 1967 व राजभाषा नियम 1976 के प्रावधान लागू हुए। राष्ट्रीयकरण से पूर्व बैंक क्लास बैंकिंग के रूप में कार्य कर रहे थे। बैंकों के ग्राहक सीमित थे। इनका प्रसार केवल नगरीय स्तर तक सीमित था। ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्रों में तो बैंकों का प्रसार न के बराबर था। लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकिंग ग्रामीणों व जनसाधारण से जुड़ी। संभवतः इसका प्रमुख कारण था, राष्ट्रीयकरण के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हिन्दी का महत्वपूर्ण प्रयोग। क्योंकि कामकाज के लिए ऐसी भाषा की आवश्यकता थी, जो आम लोगों की भाषा हो। बैंकों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के लिए कार्यतंत्र स्थापित किया गया और हिन्दी का प्रयोग आंतरिक कार्य व ग्राहकों के संपर्क बिन्दु पर शुरू किया गया। ग्राहकों को व्यक्तिगत स्तर पर हिन्दी भाषा में बैंक की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया जाने लगा, जिससे वे अत्यधिक प्रभावित हुए। आज बैंकों में राजभाषा का प्रयोग ग्राहक स्तर पर और आंतरिक कार्यों के लिए दिन प्रतिदिन अधिक होता जा रहा है।

राजभाषा विभाग :

अंग्रेज़ों के शासनकाल में आधुनिक बैंकिंग की नींव पड़ी, अत: बैंकों में अंग्रेज़ी में कामकाज चलने की वजह से अभी तक कर्मचारियों में उसी भाषा में कार्य करने की प्रवृत्ति कायम है। कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने की बात कही जाए तो राजभाषा विभाग तथा वहाँ कार्य करने वालों के बारे में सोचने का अंदाज़ इस तरह होता है कि यह विभाग बैंक के लिए क्या हासिल करता है। मैं यहां यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि बैंकिंग में राजभाषा हिंदी का प्रयोग सर्वोपरि कार्य अर्थात ग्राहकों को बैंक के साथ जोड़ना सिखाता है। आज के प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में बैंकों के साथ ग्राहक को जोड़े रखना ही सबसे कठिन कार्य है। उनसे उनकी प्रिय भाषा में वार्तालाप करके व पत्र व्यवहार करके उन्हे बैंक की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा सकती है। व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से उनकी ज़रूरतों को जान कर पूरा करने की कोशिश की जा सकती है व सुझाव दिए जा सकते हैं।

बैंकों में हिन्दी का प्रयोग :

भारत सरकार के विभागों व उपक्रमों से यदि हम बैंकों में राजभाषा के प्रयोग की तुलना करें, तो यह स्पष्ट होगा कि बैंकों ने राजभाषा के प्रयोग में अग्रणी कार्य किया है। आज के प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में अपनी व्यावसायिक जड़ें मजबूत करने के लिए सबसे आवश्यक है, ग्राहकों का संतोष और ग्राहकों के संतोष के लिए ज़रूरी है उनसे उनकी अपनी भाषा में बातचीत। हिन्दी इस कसौटी पर खरी उतरती है। बैंकिंग उद्योग में विशेषत: जहां ग्राहक ही बैंक की आत्मा एवं आधार है, हिन्दी भाषा अर्थात सबसे सरल भाषा का प्रयोग अति आवश्यक हो जाता है ।

व्यावहारिक हिन्दी :

बैंकों में हिन्दी के प्रयोग के दो पक्ष है, कानूनी व व्यावहारिक। कानूनी पक्ष में सरकार कानून बना कर किसी कार्य को जनसाधारण से करवा लेती है। कानूनी पक्ष में भले सर्वहित विद्यमान होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि लोग उसे मन से स्वीकार करें। व्यावहारिक पक्ष का सीधा संबंध लोगों के हित और रूचि दोनों से जुड़ा होता है। अतः

वे कानून व नियम प्रायः असफल रहते हैं, जहां व्यावहारिक पक्ष प्रधान न हो। आज प्रत्येक व्यवसाय में, वह चाहे बैंकिंग हो या कोई अन्य, अंग्रेज़ी का वर्चस्व बढ़ रहा है। निश्चित रूप से अपनी भाषा लागू करना राष्ट्र का गौरव है और इसे किसी मज़बूरी से नहीं अपितु स्वेच्छा से अपनाना होगा।

उत्तरदायित्व :

राजभाषा नियम 1976 के प्रावधान के अनुसार बैंकों में प्रशासनिक प्रधान का उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि राजभाषा नियम व अधिनियम के उपबंधों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है। वास्तव में भाषा संवाद, संपर्क और अभिव्यक्तियों का माध्यम होती है। यह केवल अभिव्यक्ति का साधन ही नहीं, राष्ट्र शक्ति, संपन्नता और संस्कृति का उद्बोधक भी है। परंतु, वस्तुस्थिति यह है कि राजभाषा का व्यावहारिक प्रयोग अपेक्षित स्तर तक अब तक नहीं हो पाया है। यह तभी संभव है जब कार्यपालक एवं वरिष्ठ अधिकारी राजभाषा नियम, अधिनियम, सरकारी आदेशों व प्रावधानों से भलीभाँति परिचित हों तथा उन्हें स्वेच्छा से कार्यरूप दें। बैंक का या किसी विशेष अनुभाग का प्रधान अकेले ही प्रयत्न करने के पश्चात भी पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसके लिए आवश्यकता है सभी कर्मचारियों के एकजुट होकर प्रयास करने की परंतु जब तक उनमें नैतिक बोध जागृत नहीं होगा, तब तक वास्तविक रूप से राजभाषा का प्रयोग निष्ठापूर्वक नहीं हो पाएगा। इच्छा शक्ति बलवती होने पर असंभव भी संभव हो जाता है। अतः, अब समय है कि सभी कर्मचारी अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाकर पूरा कामकाज स्वयं की ज़िम्मेवारी समझकर हिन्दी में करके राजभाषा हिन्दी को प्रतिष्ठित करने में अपना सक्रिय योगदान दें।

नवोन्मेषी कार्य :

बैंकों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से कई नवोन्मेषी कार्य प्रारंभ किए गए हैं। हिन्दी के प्रयोग के संबंध में अधिनियम, नियम व उपनियम बनाए गए। प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्यक्रम बनाया जाता है, जिसमें सभी बैंकों के लिए पत्राचार एवं हिन्दी के प्रयोग के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। सरकार व बैंक अपने-अपने स्तर पर हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाते रहते हैं। बैंकों की विशिष्ट कार्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग ने देश के विभिन्न नगरों में अलग से राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया है। राजभाषा हिन्दी की प्रगति का मूल्यांकन करने तथा आवश्यक दिशानिर्देश देने के लिए केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में हिन्दी सलाहकार समितियां व बैंकों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां और बड़े नगरों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गई हैं। यह समितियां समय-समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाती हैं। विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाता है। विशेष एवं उल्लेखनीय कार्यों के लिए भी पुरस्कारों की व्यवस्था की जाती है। बैंक भी अपने स्तर पर विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। यह हिन्दी के प्रसार को बढ़ावा देने का एवं राजभाषा को व्यावहारिक रूप देने का एक सक्रिय प्रयास है।

देवनागरी लिपि :

बैंकों में सभी टंककों व आशुलिपिकों को हिन्दी का प्रशिक्षण देना अनिवार्य किया गया है। हिन्दी भाषा को सरल व सुविधाजनक बनाने के लिए यह भी प्रावधान किया गया है कि जो शब्द हिन्दी रूपांतर के एकदम मानस पटल पर उभर कर नहीं आते, उन्हें देवनागरी लिपि में भी लिखा जा सकता है। बैंकों में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि पत्राचार में हिन्दी में प्राप्त हुए पत्रों का उत्तर तो किसी भी अवस्था में हिन्दी में ही भेजा जाना चाहिए।

द्विभाषीकरण :

बैंकों में व्यवसाय की तरह ही हिन्दी के प्रयोग में भी पूरी प्रतिस्पर्धा देखने में आ रही है। सभी बैंकों में हिन्दी के अधिक से अधिक प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। राजभाषा नियम व अधिनियम के अनुसार इन बातों को भी सुनिश्चित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं कि सभी फार्म व दस्तावेज़, सामान्य आदेश एवं राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले पत्रों का प्रेषण हिन्दी में हो अथवा द्विभाषीय हो। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में निर्दिष्ट दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का दायित्व होगा कि वह इन्हें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में जारी करें।

सामान्य कार्य :

बैंकों की शाखा कार्यालयों में ग्राहकों को फार्म हिन्दी में भर कर दिए जाएं। पास बुक, ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद, नकदी आदेश, अंतरण भुगतान आदेश आदि बनाना व विवरणियाँ बनाना आदि कार्य तो बहुत सरलता से हिन्दी में किए जा सकते हैं। प्रेषण अनुभाग का पूरा कार्य हिन्दी में किया जा सकता है। पासबुक में प्रविष्टि होने पर यदि ग्राहक उसे पढ़ न सके, तो ऐसी बैंकिंग कहाँ तक सफल मानी जा सकती है। वस्तुतः किसी भी नए कार्य को आरंभ करने में थोड़ी सी कठिनाई तो अनुभव होती ही है, लेकिन यदि उसे लगातार निष्ठा से किया जाए तो कठिनाइयाँ स्वत: ही दूर हो जाती हैं। कठिनाइयाँ उन्हीं के सामने आती हैं, जो काम करते हैं। जिसने श्रीगणेश ही न किया हो, उसे भला क्या परेशानी हो सकती है। कठिनाइयों पर विजय पाने वाला ही सफल होता है।

''आज कल में जाएगा टल, हिंदी की शुरूआत करेंगे इसी पल''

लक्ष्य प्राप्ति :

सरकार से प्राप्त वार्षिक कार्यक्रम को पूरा करने का लक्ष्य और बैंकों की निजी स्तर पर प्रचलित विभिन्न कार्य योजनाएं प्रशासनिक कार्य की प्रकृति के अनुसार विकसित हैं। जब सभी कार्यालयों की रिपोर्ट देखी जाती है, तो उसमें यही पाया जाता है कि सभी कार्यालय लक्ष्य प्राप्ति के लिए होड़ लगा रहे हैं कुछ तो लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं और बाकी लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। परंतु, जब तक इन्हें व्यवहारिक रूप नहीं दिया जाएगा, तब तक ये निरर्थक रहेंगे।

राजभाषा अधिकारी :

प्रत्येक प्रशासनिक कार्यालय में राजभाषा अधिकारी की भी नियुक्ति की गई है ताकि राजभाषा कार्यान्वयन को व्यवहारिक बनाने के लिए कोई भी समस्या आड़े न आए और वे कर्मचारियों को हिन्दी का ज्ञान व प्रशिक्षण भी देते रहें।

पत्रिका प्रकाशन :

बैंकों में राजभाषा के प्रसार के लिए बैंक अपनी कार्यप्रणाली के अनुसार त्रैमासिक अथवा छमाही पत्रिकाएं भी प्रकाशित करवा रहे हैं। इन पत्रिकाओं के माध्यम से कर्मचारियों का ज्ञान बढ़ता है। वे लेख, कहानियों व कविताएं इत्यादि पत्रिका में प्रकाशन हेतु भेज कर अपनी कला का प्रदर्शन तो करते ही हैं, साथ ही दूसरों को भी प्रभावित व उत्साहित करते हैं ताकि वे भी आगे आएं और अपने ज्ञान व रूचियों को दूसरों से बांटें। अपनी लेखनी उठा कर जिस रूप में भी चाहें राजभाषा हिन्दी का प्रयोग करें, इससे हिन्दी के प्रसार को पर्याप्त बढ़ावा मिलता है। राजभाषा कार्यान्वयन को व्यावहारिक रूप देने का यह अद्वितीय स्रोत है।

पुस्तकालय :

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अनुसार बैंकों के पुस्तकालयों में कुल पुस्तकों का कम से कम 50% पुस्तके हिन्दी भाषा की होनी चाहिए। ऐसी पुस्तकें भी बनाई गई हैं, जिनके प्रयोग से बैंक कर्मचारी हिन्दी भाषा में अपना सम्पूर्ण कार्य आसानी से कर सकते हैं, यथा बैंकिंग शब्दावली, हिन्दी अनुवाद एवं हिन्दी टिप्पणी आदि।

वित्तीय समावेशन :

जन-जन तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का मुख्य उदेश्य था। अब इसे पूरा करना समय की मांग है। क्रेता बाजार व अत्यधिक विकल्प होने के कारण नए ग्राहक बनाना तो कठिन है ही, वर्तमान ग्राहकों को बनाए रखना भी टेढ़ी खीर हो गया है। वित्तीय समावेशन की अवधारणा अर्थात दूर-दराज के क्षेत्रों में घर-घर जाकर व्यक्तिगत रूप से वार्तालाप करके ग्राहक बनाना ही एक विकल्प है। यह विशेष कार्य किसी मशीन से नहीं, बल्कि मानव शक्ति से ही सम्पन्न हो सकता है। इस महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दे सकती है तो केवल सरल व सामान्य भाषा। यदि हम ग्राहक से ग्राहक की ही भाषा में बात करेंगे, तभी वे हमारी बात को समझेंगे व अपनी आवश्यकताओं व समस्याओं को हमारे साथ बांटेंगे।

ग्राहक संतुष्टि :

प्रत्येक उद्योग की मूलभूत कड़ी 'ग्राहक' होता है। आज ग्राहक केवल वहीं जाना पसंद करता है, जहां उसे विनम्र व्यवहार, आदर और समय की बचत का अवसर मिलता हो। यह कहना भी अतिशयोक्ति न होगी कि एक संतुष्ट ग्राहक बैंक के लिए सर्वोपरि विज्ञापन होता है। इस कार्य में हिन्दी भाषा की अहम भूमिका है। सरल व व्यावहारिक उदाहरण देना चाहूँगी। अंग्रेजी भाषा में प्रत्येक ग्राहक को 'यू' कहकर संबोधित किया जाता है और हिन्दी भाषा में बात करेंगे तो आयु वर्ग के अनुसार 'आप', 'अंकल जी', 'भाई साहब', 'बेटा जी', 'माता जी', व 'बहन जी' कहकर संबोधित करेंगे। इससे ग्राहक निश्चित रूप से अनुभव करेंगे कि उन्हें आत्मीयता से व सम्मानपूर्वक संबोधित किया गया है तथा इस बात का उनके मन पर अवश्य ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

प्रशिक्षण :

बैंकों में समय-समय पर नई-नई योजनाएं लागू की जाती हैं। ग्राहकों को नवीन योजनाओं की जानकारी देने के लिए आवश्यक है कि

कर्मचारियों को पूर्णतया ज्ञान हो। हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण की आवश्यकता इसलिए है कि अंग्रेज़ी में सभी कर्मचारी प्रशिक्षण या अनुकरण की सहायता से कितना भी काम कर लें, उसमें उनकी सहजता नहीं हो सकती। अत:, आज नहीं तो कल, उन्हें जन-जन की भाषा हिन्दी को अपनाना ही होगा। विशेषकर उस स्थिति में जब बैंक अपने विशिष्ट ग्राहकों की छवि से निकलकर आम आदमी के बीच पहुँच गए हैं। ज्यों-ज्यों व्यापार में आम आदमी की सहभागिता और योगदान बढ़ रहा है, हिन्दी का प्रयोग भी बढ़ रहा है। अत:, ग्राहक सेवा के संदर्भ में भी हिन्दी में प्रशिक्षण अति आवश्यक है।

हिन्दी शिक्षण योजना :

राजभाषा विभाग द्वारा प्रशासित हिन्दी शिक्षण योजना के तहत हिन्दी में प्रशिक्षण देश के विभिन्न भागों में स्थित लगभग 230 केंद्रों में प्रदान किया जा रहा है। केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना विभिन्न गैर वैधानिक साहित्य, हस्त पुस्तिकाओं/संहिताओं, प्रपत्रों आदि के विभिन्न प्रकारों के अनुवाद हेतु की गई थी। ब्यूरो को अनुवाद कार्य के साथ जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को आयोजित करने के दायित्व सौंपे गए हैं।

पुरस्कार योजना :

वर्ष 1986-87 से 'इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना' (वर्तमान में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार) प्रचलित थी। प्रत्येक वर्ष बैंकों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठानों तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में असाधारण उपलब्धियों के लिए पदक दिए जाते हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा हिन्दी में मूल पुस्तकें लिखने वाले कार्यरत/सेवा निवृत्त कर्मचारियों को नकद पुरस्कार दिए जाते हैं। ज्ञान विज्ञान पर मूल पुस्तक लेखन के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार योजना को आधुनिक विज्ञान/प्रौद्योगिकी तथा समकालीन विषयों की सभी शाखाओं में हिन्दी भाषा में पुस्तकें लिखने को प्रोत्साहन देने के लिए इसे 'राजीव गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार योजना' (वर्तमान में राजभाषा गौरव पुरस्कार) का नाम दिया गया है। यह योजना भारत के सभी नागरिकों के लिए खुली है। क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार प्रति वर्ष संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और हिन्दी के प्रगामी उपयोग को आगे बढ़ाने में असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी :

प्रौद्योगिकी के विकास ने सूचना के आदान-प्रदान के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। सूचना आदान-प्रदान का सशक्त माध्यम भाषा ही होती है। राष्ट्रीयकरण के बाद हिन्दी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी थी कि तभी सूचना प्रौद्योगिकी ने क्रांति का रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते मशीनें मानव के विकल्प के रूप में सामने आने लगी। अत:, हिन्दी का प्रयोग मशीनों और कम्प्यूटरों के आगमन से बाधित होने लगा। परंतु, समय के साथ-साथ हिन्दी भाषा के विकास में आने वाली ये बाधाएं भी दूर हो गई। विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयरों की सहायता से केवल हिन्दी में ही नहीं, अपितु अनेक भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर पर कार्य किया जा सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'कंप्यूटर परिभाषा कोष' प्रकाशित किया है, जो कंप्यूटर के क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। अंग्रेज़ी से हिन्दी में मशीनी अनुवाद ''कंठस्थ 2.0'' और द्विभाषिक अनुवाद सॉफ्टवेयर अनुवाद की समस्या का समाधान करने के लिए उपलब्ध है। हिन्दी शब्दावली नामक पुस्तक भी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की गई है, जिससे बैंक कर्मचारियों को पत्र व्यवहार करने में सुविधा हो।

व्यापकता की तलाश में राजभाषा कार्यान्वयन :

हमारे देश में राजभाषा का दौर राजभाषा नीति के अंतर्गत अस्सी के दशक से आरंभ हुआ तथा तब से अब तक राजभाषा कार्यान्वयन में कोई व्यापक परिवर्तन नहीं हुआ है। यदि मैं कहूँ कि यांत्रिकी, प्रौद्योगिकी को छोड़कर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। अत:, राजभाषा कार्यान्वयन में नयेपन की आवश्यकता है। यह नयापन कहीं और से नहीं लाना है अपितु नवीनता संस्था विशेष की कार्यशैली में ही छुपी रहती है, बस उससे राजभाषा को जोड़ने के कुशल प्रयास की आवश्यकता है। राजभाषा को व्यापकता प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन की शैली में संस्था के दायरे के अंतर्गत परिवर्तन लाना चाहिए। राजभाषा को केवल राजभाषा नीति और भारत सरकार, गृह मंत्रालय के अतिरिक्त कर्मचारियों से भी जोड़ कर देखना चाहिए। एक ऐसा वातावरण निर्मित करना चाहिए जिससे राजभाषा कार्यान्वयन की नई पहलों का अनुभव समस्त कर्मचारियों को होता रहे।

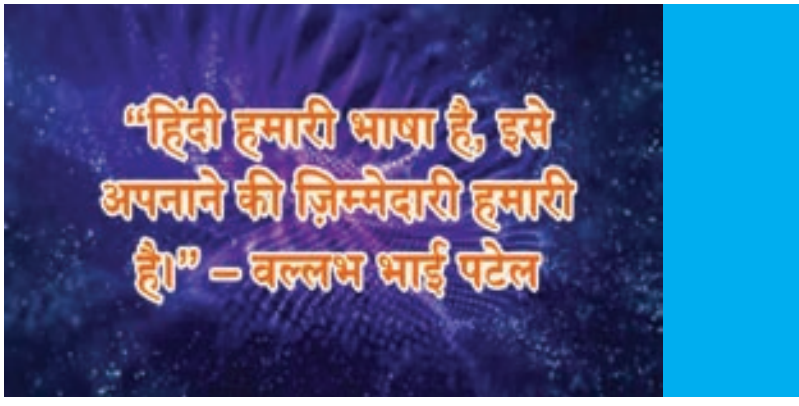

आलेख

हिंदी से समृद्ध होती भारतीय भाषाएं

मयंक पाठक
वरिष्ठ प्रबंधक
प्रधान कार्यालय, बेंगलूरु

मैं अपनी बात श्रीकांत वर्मा की एक कविता से शुरु करता हूँ।

चाहता तो बच सकता था
मगर कैसे बच सकता था
जो बचेगा
कैसे रचेगा

माना जाता है कि इतिहास में 1400 करोड़ वर्ष पूर्व बिग बैंग की घटना से पृथ्वी बनने की प्रक्रिया शुरु हुई। करीब 450 करोड़ वर्ष पूर्व कुछ खास अणुओं ने मिलकर जीवन नामक विशेष संरचनाओं को रूप देना शुरु किया और पहली बार जीव अस्तित्व में आए। लगभग 70 हजार वर्ष पूर्व आज के मनुष्य के स्वरूप में होमो सेपियंस आए और इसी के साथ तीन महत्वपूर्ण क्रांतियों संज्ञानात्मक क्रांति, कृषि क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति ने आज के मानव जीवन के अस्तित्व में आमूल चूल परिवर्तन किए।

यद्यपि होमो परिवार के अन्य सहोदरों होमो रुडेल्फिसिस, होमो निएडंरथलेलिस, होमो इरेक्टस आदि होमो सेपियंस की तुलना में अधिक मजबूत व ताकतवर थे। तो फिर ऐसा क्या रहा जिससे कि होमो सेपियंस ही जीवन के क्रम आगे बढ़े, सफल हुए और अस्तित्व में रहे।

इस विकास क्रम को अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहली संज्ञानात्मक क्रांति ने ही भाषा की शुरुआत की। होमो सेपियंस के अस्तित्व का यही कारण है कि उनके पास भाषा की अनुपमेय शक्ति थी। यद्यपि भाषा की शक्ति अन्य जीवों के पास भी थी और ध्वनि के रूप मे ही थी। परन्तु अन्य जीवों में ध्वनि की ऐसी विविक्तता ना थी जो मानव में थी। अन्य और वन्य जीवों में हम पाते हैं कि एक ध्वनि, एक वाक्य के रूप में होती है। यद्यपि कुछ जीवों के पास अनेक ध्वनियां भी थी, बावजूद इसके ये जीव सफल नहीं हुए। इसका मूल कारण है अन्य जीवों से इतर मानव को प्रदत्त चिंतन शक्ति और कल्पना शक्ति, जिसके कारण मानव कुछ 40-50 ध्वनियों से करोड़ों शब्दों का निर्माण कर सकता है और उन करोड़ों शब्दों से अरबों-खरबों वाक्यों का सृजन कर सकता है। इसके साथ ही भाषा में भावनाओं के समिश्रण का ऐसा लचीलापन है कि किसी एक बात को कहने के लिए मानव के पास अनेक तरीके हैं।

विश्व के भाषायी सर्वेक्षण में 7115 भाषाओं की बात होती है इनमें 150 भाषाएं ऐसी है जिनके बोलने वालों की संख्या 10 से कम है, लगभग 6000 भाषाएं ऐसी है जिनको बोलने वाले 1 लाख या उससे कम है, और तथ्य यह है कि पूरे विश्व में 8 अरब की आबादी में हिंदी बोलने वालों का स्थान तीसरा है। अब समझिए कि विश्व की 7115 भाषाओं में तीसरे स्थान की भाषा हिंदी के बोलने वाले इस पशोपेश में है कि हिंदी का भविष्य क्या है। इससे अधिक हास्यास्पद बात क्या हो सकती है।

भारत में हिंदी भाषा के लिए अगर हम तथ्यों पर ध्यान दें तो 1991 की जनगणना में हिंदी भाषा को प्रथम भाषा के रूप में बोलने वालों की संख्या 39.29% प्रतिशत थी जो 2011 में बढ़कर 43.63% प्रतिशत हो गई। इसका तात्पर्य यह कि 2011 में लगभग 53 करोड़ लोग प्रथम भाषा के रूप में हिंदी भाषी थे। वहीं 2011 में एक और आंकड़ा चौकाने वाला है कि अन्य भाषाओं के साथ-साथ भारत में प्रथम भाषा के रूप में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या 0.02% लगभग 2.59 लाख है। यहां अंग्रेजी और हिंदी के अंतर को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। खैर इससे यह सिद्ध होता है कि भारत में बोलचाल की भाषा, सांस्कृतिक भाषा, सामाजिक भाषा के रूप में हिंदी, अंग्रेजी से मीलों आगे है।

अब गौर करने लायक यह है कि वाणिज्य, विधि, न्याय, विज्ञान, तकनीकी और नौकरी की भाषा के रूप में हिंदी का स्वरूप कैसा है। यहां निराशा हाथ लगती है। मातृभाषाओं के रूप में भाषाओं की जो दुर्गति इस देश में है, वो निश्चित रूप से किसी देश में नहीं है। विश्व के किसी भी देश में विज्ञान और चिकित्सा आदि क्षेत्रों की भाषा वही है जो उनके समाज की भाषा है, और इसका कारण स्पष्ट है कि देश का प्रत्येक नागरिक चिकित्सा, विज्ञान, न्याय, विधि संबंधी मूल प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में समझे व जाने। कितने लोग भारत में चिकित्सा, न्याय, विज्ञान संबंधी शब्दावली से परिचित है। क्या कोर्ट ने जो निर्णय दिया है या डॉक्टर ने जो बीमारी बताई है वो बिना किसी इंटरप्रेटर (दुभाषिए) के हम पूरी तरह समझते है।

ऐसा क्यों नहीं है कि भारत में इनके अध्ययन की व्यवस्था भारत के नागरिकों की मातृभाषाओं कन्नड, तमिल, तेलगू, मलयालम, उड़िया आदि और यहां तक कि हिंदी में भी नहीं है। हां इस परम ज्ञान से हम सभी परिचित है कि हिंदी सबसे वैज्ञानिक भाषा है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से अध्ययन और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ-कुछ प्रगति हुई है लेकिन वह अभी एक खानापूर्ति ही लग रही है।

कितनी बड़ी विडम्बना है कि भारत में ज्ञान विज्ञान की इन तमाम विधाओं के अध्ययन के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है जो न हमारी मातृभाषा है, न राजभाषा है, न राष्ट्रभाषा, न समाज और न ही संस्कृति की भाषा है। इसके साथ यह उससे भी गंभीर है कि भारत की क्षेत्रीय भाषाओं में भी इन विधाओं के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

यहां यह भी समझ लेना आवश्यक है कि हमें अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए क्या उन्हें प्राथमिक भाषाओं के रूप में बढ़ाना चाहिए या केवल हिंदी भाषा के साथ ही बढ़ना चाहिए या हिंदी में क्षेत्रीय भाषाओं की शब्दावली को समाहित करते हुए देवनागरी लिपि के साथ बढ़ना चाहिए। तो प्रथमतः एकाधिक भाषाएं विभिन्न क्षेत्रों के प्रयोग में सरकार की लागत बढ़ाती है, जितनी अधिक भाषाएं उतनी ही लागत बढ़ती है। मसलन शिक्षा और व्यवसाय क्षेत्र में पुस्तकों, विज्ञापनों आदि के साथ प्रत्येक फार्म, फार्मेट आदि को कई भाषाओं में मुद्रित करना पड़ता है और इस हेतु अनुवादकों को नियुक्त करना पड़ेगा। अनुवाद में त्रुटि या गलत अनुवाद वास्तविक मुद्दे से भटकाकर लोगों के लिए बेवजह के संघर्ष और विवाद का कारण बन सकता है। एक वर्ग विशेष में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सेवाओं को सीमित कर सकता है और इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आपातकालीन स्थिति में सूचना का प्रवाह अनेक भाषाओं की वजह से जीवनोपयोगी सेवाओं की उपलब्धता में व्यतिपात कर सकता है। मसलन किसी भवन को खाली करने के लिए 5 मिनट का समय है तो 4 भाषाओं की घोषणाओं द्वारा लोगों को समझने में 10 मिनट लग सकते हैं।

यह भी सत्य है कि सभी व्यक्ति सभी भाषाएं नहीं सीख सकते हैं, यदि ऐसा किया भी जाए तो इसके लिए अत्यधिक समय और श्रम की आवश्यकता होगी। यह मनुष्य के मौलिक चिंतन, रचनात्मकता और कौशल विकास को प्रभावित करेगा, परिणामतः उसके मूल व्यक्तित्व के अनुसार विकास की संभावनाएं नष्ट हो जाएंगी। भिन्न भाषा-भाषी लोगों के बीच मित्रता होना भी कठिन है। यह सामान्य मनोविज्ञान है कि बार-बार ऐसे व्यक्तियों का सामना होने पर एक भाषायी पूर्वाग्रह पैदा होता है जो एक दूसरे के लिए सीमाएं निर्धारित करता है। भाषा की बाधाएं लोगों को अलग-थलग करने लगती हैं और परिणाम राष्ट्रहित के लिए हानिकारक होते हैं। भिन्न भाषाएं सांस्कृतिक भिन्नताएं भी पैदा कर सकती हैं, इसमें शब्दों से अधिक भावनात्मक पहलू शामिल होते है, इसलिए इसे साधारणतया व्यक्त कर पाना भी कठिन है। बहरहाल संस्कृतियों का बेमेल होना सांप्रदायिकता को जन्म दे सकता है और एक आम भाषा की कमी और अपनी भाषा की श्रेष्ठता को साबित करने में मदभेद, वैमनस्यता और अपमान के बीज का उदय होगा।

भारत की क्षेत्रीय भाषाओं का लाभ और इनका उपयोगी होना तभी संभव है जब इनके बीच एक भाषा सेतु की तरह कार्य करती हो। इस सेतु भाषा की संरचना इस प्रकार हो जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं के साथ-साथ विदेशी भाषा के शब्दों और अवधारणाओं को आसानी से आत्मसात किया जा सके। इस प्रकार की संरचना भाषा को असमान्य रूप से बहुमुखी बनाती है और देशज-विदेशज भाषाओं के साथ उनकी भाषायी संस्कृति को अपनाने में भी सक्षम बनाती है। देवनागरी हिंदी वह भाषा है जो भाषाओं के समवर्ती प्रवाह को समाहित करते हुए शब्द और पदों के सहारे वाक्य विन्यास की ऐसी सरलता और सरसता प्रस्तुत करती है कि उसमें सभी भाषाओं का अस्तित्व झलकता है।

ऐसी अवस्था में एक ही सत्य व तथ्य बचता है कि इन तमाम भारतीय भाषाओं के आपसी अपरिचय और अलगाव को मिटाने के लिए और अंग्रेजी के बेबुनियादी वर्चस्व को दूर करने के लिए भारतीय भाषाओं को एक-दूसरे के निकट आने की आवश्यकता है। अगर प्रदेशों के साथ भारत भ्रमण करें तो पूर्व में असमिया, बोडो, मणिपुरी, बांग्ला, उड़िया, दक्षिण में कन्नड, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पश्चिम में मराठी, गुजराती, उत्तर-पश्चिम में पंजाबी और उत्तर में हिंदी व कश्मीरी सहित हिंदी के प्रदेश के रूप में मुख्यतः यही भारत की भाषाएं कही जा सकती हैं। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची की 22 भाषाओं में उक्त के साथ कोंकणी, सिंधी, उर्दू व संस्कृत भी शामिल हैं।

भारतीय भाषाओं के विकास, प्रचार-प्रसार और आपसी संपर्क-संवाद में देवनागरी लिपि की निर्णायक भूमिका हो सकती है। मेरे

विचार से एक परियोजना के रूप में संस्कृत उद्भूत भारतीय भाषाओं की लिपि के रूप में देवनागरी लिपि को अपनाकर यह शुरुआत की जा सकती है। दक्षिण की कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और संविधान की अनुसूची में अन्य भाषाओं की पृथक लिपि के साथ सह-लिपि के रूप में देवनागरी लिपि को अपनाने से अनेक सामाजिक-सांस्कृतिक संकीर्णताओं का निदान हो सकता है। भारत जैसे बहुभाषिक, बहुलिपिक देश इस वैविध्य के बावजूद भारतीयता की अंतर्धारा को और अधिक पुष्ट करने में हिंदी और देवनागरी लिपि की बड़ी भूमिका हो सकती है। देवनागरी लिपि में अन्य भारतीय भाषाओं की विशिष्ट ध्वनियों को समायोजित करने हेतु इसमें आंशिक परिवर्तन/परिवर्द्धन भी किया जा सकता है। इसके साथ ही देवनागरी लिपि को भी लचीलापन और उदारता दिखानी होगी ताकि भारतीय भाषाओं के साथ उसकी आत्मीयता और सहज निकटता स्थापित हो सके।

व्यापार और भाषा का अन्यान्योश्रित सम्बन्ध होता है, अत: जिन भाषाओं की लिपि में साम्यता है उनमें बेहतर सामाजिक-सांस्कृतिक संवाद स्थापित होने के साथ-साथ व्यापारिक-वाणिज्यिक क्षेत्र भी फलते-फूलते हैं। इसे ऐसे एक उदाहरण से समझना चाहिए; कश्मीरी भाषा की लिपि शारदा और डोगरी भाषा की लिपि टाकरी थी, कालांतर में डोगरी देवनागरी लिपि को अपनाकर हिंदी समाज व्यवहृत हुई और कश्मीरी नस्तालिक लिपि को अपनाकर अपने ही क्षेत्र में सिमट रही है। कश्मीरी को भी यही चाहिए कि देवनागरी लिपि को अपनाकर अपना विकास और विस्तार करे। इस प्रकार भारत की क्षेत्रीय भाषाएं देवनागरी लिपि के माध्यम से हिंदी के साथ जुड़कर सांस्कृतिक समृद्धता के साथ रोजगार, व्यापार में भी उन्नत स्थान बनाएंगी।

भाषा शिक्षण की विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में चार भाषिक कौशल हैं : सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। इसमें प्रथम दो भाषिक कौशल सुनना और बोलना भाषा अधिगम के प्रथम चरण हैं, जबकि लिखना और पढ़ना इसके द्वितीय चरण। इस द्वितीय चरण का सम्बन्ध लिपि से है। हम भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि को अपनाकर भाषा अधिगम की इस जटिल प्रक्रिया को सरल और सर्वसुलभ बना सकते हैं। भारतीय भाषाओं की व्युत्पत्ति मूलतः संस्कृत से होने के कारण कच्छ से कामरूप और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भाषाओं की सांस्कृतिक शब्दावली एक दूसरे के काफी निकट है। इस प्रकार एक लिपि के व्यवहार द्वारा शिक्षित भारतीय अनेक भाषाओं को आसानी से लिख-पढ़ सकेगा और क्षेत्रीय भाषाओं के समृद्ध साहित्य व अन्तर्निहित सांस्कृतिक विरासत से परिचित हो सकेगा। सही मायनों में यही हमें बहुभाषिक बनाने का सबसे आसान तरीका होगा। हमारे भाषायी चिंतन में यह बात बहुत गहनता से होनी चाहिए कि भारतीय भाषाएं एक दूसरे की संपूरक है न कि प्रतिद्वंद्वी। देवनागरी लिपि को अपनाने से यह आत्मीयता और संपूरकता उत्तरोत्तर पुष्पित व पल्लवित होगी। याद आता है डॉ रामविलास शर्मा का यह कथन हिंदी अंग्रेजी का स्थान ले, इसकी बजाय यह वातावरण बनाना चाहिए कि सभी भारतीय भाषाएँ अंग्रेजी का स्थान लें।

यह सर्वविदित है कि भारत की स्वतंत्रता में हिंदी भाषा का अप्रतिम योगदान रहा है और स्वतंत्रता पश्चात हिंदी भाषा को हमारे देश की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। स्वतंत्रता पूर्व निर्विवाद रूप से हिंदी का सम्पर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया गया और यही कारण रहा कि हिंदी के अनेक शब्द, क्रियापद और संज्ञाएँ भारत की अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में उसी अर्थ में या दूसरे अर्थ में उपलब्ध है। इतना ही नहीं, हिंदी की सहजता, वैज्ञानिकता और रागात्मकता भी भारत की प्रान्तीय भाषाओं में मिल जाती है और यह सब सहज रूप से हुआ है। हिंदी का महत्व जितना हिंदी भाषा भाषियों के लिए है, उससे कहीं अधिक हिंदीतर भाषी के लिए है और इसी कारण वह हिंदी को उसके सुखात्मक रूप में अपनाने का कहीं अधिक प्रयास करता है।

भाषा के बिना न तो किसी देश की कल्पना की जा सकती है और न ही किसी समाज की। इसलिए भाषा की उपेक्षा का मतलब स्वयं अपने अस्तित्व को ही नकारना है। मेरा मानना है भाषा धर्म से कहीं बड़ी वस्तु है। तभी तो एक ही धर्म वाले लोग भाषायी विविधता के कारण अलग हो जाते हैं और यहां तक कि अलग देश बन जाते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश इसी के उदाहरण हैं। एक बात और समझने लायक है कि भाषाओं के अंतर्संबंध को न तो रोका जा सकता है और न ही समाप्त किया जा सकता है।

इसलिए वक्त की नजाकत को समझते हुए हम सभी का यह कर्तव्य है कि हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के सम्बन्धों पर सवाल न उठाकर अंग्रेजी की एकाधिकारिता को समझना चाहिए और भारतीय भाषाओं को यथायोग्य पदासीन करना चाहिए। अब समय आ गया है कि हिंदीतर भाषी प्रदेश नए सिरे से हिंदी और अपनी प्रान्तीय भाषा के सहसम्बन्धों पर विचार करें। देवनागरी लिपि वाली हिंदी के सर्वग्राही प्रयोग की दृष्टि से यह वांछनीय है कि हिंदी की नैसर्गिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उसमें विभिन्न प्रांतीय भाषाओं की शब्दावली को समाहित किया जाए। इसके साथ यह भी ध्यान रखा जाए कि अनर्थक तत्वों के समावेश से हिंदी के प्रामाणिक रूप को विकृत न किया जाए।

हम जिस हिंदी को राष्ट्र-भारती का दर्जा देते हैं उसके भावी रूप का गठन निश्चित ही भारत के विविध क्षितिजों द्वारा ही संभव होगा। भारत के प्रत्येक प्रांत के लोग स्वविशेषताओं के साथ हिंदी के भंडार को समृद्ध करेंगे। करोड़ों भारतीयों द्वारा बोली जाने वाली हिंदी में भूमि का स्पंदन और आकाश का विस्तार होगा। देश की सभी भाषाओं की प्रवृत्तियां उसकी ओर उसी प्रकार उन्मुख होंगी, जिस प्रकार सरिताएं समुद्र की ओर **''सर्वभाषा समवायो हैन्दवी प्रतिगच्छति''** ।

कविता

हिंदी ही है वह भाषा ..

राजेश गोयल
लिपिक
कोडीहल्ली शाखा

गुलामी की जंजीरों से।
आजादी जिसने दिलाई।।

गूँजी थी यह हर गली मोहल्ले में ।
बनकर चिंगारी और शहनाई ।।

जिसके शब्दों की सरलता के चलते।
फिरंगियों ने भी इसे अपनाया।।

हिन्दी ही है वह भाषा ।
जिसमें ममत्व की करूणा समाई।।

क्यों फिर आज हमें आती है लाज।
कहनें में, बोलने में यह भाषा लाजवाब।।

क्या हमसें नई पीढ़ी नहीं पूछेगी।
प्रश्न करेगी और मांगेगी इसका हिसाब।।

पश्चिम की चकाचौंध ने किया हमें धूमिल।
न लगाया हमने अपना विवेक, बस हो गए इस दौड़ में शामिल।।

भारत न रहा मज़बूत भारत ।
बँटकर रह गए, टुकड़ो में, न बन सका नवल भारत।।

भाषा की प्रभुता का ऐसा चला बाण।
कि आखिर अंग्रेज़ी को ही मानना पड़ा भाषा प्रधान।।

आओ सब मिलकर करें प्रण ।
राजभाषा को बनाएँ राष्ट्रभाषा देकर अपना हर कण।।

राज तिलक पांडेय
वरिष्ठ प्रबंधक
अंचल कार्यालय, राँची

कविता

जन गण मन की अभिलाषा

प्राकृत और अपभ्रंश से जन्मी,
हिंदी भाषा यह बहुत पुरानी है।
हरिशचन्द्र जी की कविता सी,
सरल सहज पथगामी है।।

आदिकाल का वक़्त पुरातन,
हिंदी का अभ्युदय हुआ।
वीर और श्रृंगार रस लिए,
राज रासो का सृजन हुआ।।

चारण और नाथ साहित्य से,
नारी का जो सम्मान हुआ।
भक्तिकाल का वक़्त था स्वर्णिम,
सगुण-निर्गुण का जब ज्ञान हुआ।।

रीतिकाल की रीत निराली,
सामंतो का जब वर्चस्व हुआ।
केशवदास की रामचंद्रिका से,
बिहारी का सतसई जुड़ा।।

भारतेंदु हरिशचंद्र ने आकर,
साहित्य को नया रूप दिया।
भक्ति, रीति, श्रृंगार से हटकर,
राष्ट्र-प्रेम ओर रुख मोड़ दिया।।

आधुनिक युग में दिनकर ने,
किसानों के उम्मीदों पर जोर दिया।
हर युग का इतिहास संभाले,
हिंदी ने प्रभाव परिलक्षित किया।।

हिंदी जननी जन्मभूमि की,
भाषा अमूल्य धरोहर है।
गर्व प्रदायनी प्रेरणादायी,
जन-गण-मन की अभिलाषा है।।

आलेख

आजादी का अमृत महोत्सव एवं हिंदी का स्थान

सोनिया कुमारी
अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यलय, रोहतक

समाचार पत्र, पत्रिकाएं, आकाशवाणी, दूरदर्शन, कम्प्यूटर, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हिंदी ने अपना वर्चस्व कायम किया है। नई तकनीक के आविष्कारों में टाइप रोमन अंग्रेज़ी में किया जाता है और प्राप्त हो जाता है देवनागरी में। नई प्रौद्योगिकी में हिंदी में अभिव्यक्ति की सभी सुविधाएं आरकूट, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ब्लॉग, स्पॉट आदि उपलब्ध हैं। हिंदी ई-लर्निंग, अनुवाद ई-लर्निंग, ऑनलाइन ई-महाशब्दकोश, हिंदी स्कैनर, ई-पत्रिका, ई-पुस्तकालय, हिंदी में बोलकर टाइप करना आदि-आदि हिंदी के नवीनतम ई-टूल्स हैं। नि:संदेह हिंदी आज अंतर्राष्ट्रीय गौरव प्राप्त भाषा है। जब भारतवर्ष ''आजादी का अमृत महोत्सव'' मना रहा है तो ऐसे में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने पर दृढ़ संकल्प होकर विचार करना अनिवार्यता होनी चाहिए।

भारतवर्ष को स्वतंत्रता की सांस लेते हुए 75 वर्ष हो गए हैं। अत: स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने वाला भारत राष्ट्र दिनोंदिन सफलता के प्रगति पथ पर नित नए आयाम हासिल कर रहा है। जिसका राष्ट्र चिन्ह है, राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्र गान है, राष्ट्रीय प्रतीक है, वहां विडम्बना ही है कि आज भी राष्ट्र भाषा का मुद्दा विवादग्रस्त है। किसी भी राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति के विकास में उसकी भाषा का विशेष योगदान होता है भाषा और संस्कृति का अटूट संबंध होता है क्योंकि भाषा ही संस्कृति की संवाहक होती है। प्रत्येक भाषा का एक इतिहास होता है जो उस देश एवं देशवासियों के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास से जुड़ा होता है। संस्कृत भाषा भारत की सबसे प्राचीन भाषा है जिसे आर्य भाषा या देवभाषा भी कहा जाता है। हिंदी इसी की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग एक हजार वर्ष पुराना माना गया है। परंतु हिंदी में सर्वव्यापकता, प्रचुर साहित्य, बनाबट की दृष्टि से सरल वैज्ञानिकता और सब प्रकार के भावों को प्रकट करने के सामर्थ्य आदि गुणों के कारण ही 14 सितम्बर, 1949 को इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया, साथ ही संविधान में राजभाषा के संबंध में धारा 343 से 351 तक की व्यवस्था की गई।

देश में एकता व अखंडता कायम रहे, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए बुद्धिजीवी, समाज सुधारक, विचारक गत शताब्दियों से संघर्षरत रहे हैं। जिनमें सक्रिय योगदान देने वालों में पंडित मदनमोहन मालवीय, बालगंगाधर तिलक, लाला लाजपतराय, विपिनचंद्र पाल, राजाराम मोहन राय, महात्मा गांधी, राजेन्द्र प्रसाद, काका कालेलकर, पुरुषोत्तम दास टंडन, सेठ गोबिन्द दास आदि का नाम अविस्मरणीय है। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर हिंदी को एक प्रकार से मान्यता प्राप्त हो चुकी है। हिन्दी विश्व के एक सौ से अधिक विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। विश्व में हिंदी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरे स्थान पर है। इतना ही नहीं, आज हिंदी सूचना प्रौद्योगिकी की भाषा बन गई है।

नि:संदेह हिंदी आज अंतर्राष्ट्रीय गौरव प्राप्त भाषा है। महात्मा गांधी जी के अनुसार 'हिंदी का प्रश्न मेरे लिए देश की आजादी का प्रश्न है। हिंदी भाषा केवल एक राजभाषा नहीं है, यह संपूर्ण देश की संस्कृति के रूप में पल्लवित और पुष्पित भाषा है।' जब भारतवर्ष आजादी की ऊर्जा का, नए संकल्पों का, आत्मनिर्भरता का अमृत महोत्सव मना रहा है तो ऐसे में भारतीय संस्कृति की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को सुरक्षित रखने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने पर भी दृढ़ संकल्प लेकर विचार करना अनिवार्यता होनी चाहिए, विकल्प नहीं। हिंदी के विकास में कबीरदास, प्रेमचंद, सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा सुमित्रानंदन पंत का काफी योगदान रहा है। आज भी कई लेखक हिंदी के विकास में ईमानदारी से जुटे हुए हैं, परंतु दु:ख की बात यह है कि हम भारतीय ही हिंदी बोलने में शर्म महसूस करते हैं, जबकि अंग्रेज़ी बोलने में हमें गर्व महसूस होता है। हिंदी राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है, यह कोई क्षेत्रीय या साधारण भाषा नहीं हैं। यह एक विकसित और समृद्ध भाषा है। हिंदी का अपना व्यापक शब्द भंडार है। हिंदी भाषा व्यक्ति को एक नई पहचान देती है। पश्चिम के कई लोग भारतीय संस्कृति और भाषा को गर्व के साथ अपना रहे हैं, किंतु भारत में इसका अध्ययन घटता जा रहा है, जबकि अंग्रेज़ी सीखने व बोलने वालों की संख्या काफी अधिक है। हिंदी दिवस पर हर भारतीय को शपथ लेनी चाहिए कि वह शान से हिंदी को सीखेगा तथा इसका प्रयोग बढ़ाएगा। हमारे देश में अब अंग्रेज़ी की अनिवार्यता को खत्म कर देना चाहिए।

आलेख

हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का संबंध

अभिजीत कुमार सिन्हा
अधिकारी
अंचल कार्यालय, कोलकाता

साहित्य ही मानव की चेतना का मूल होता है और साहित्य के रसपान से समृद्ध होकर मानव अपने समाज का निर्माण करता है। समाज से देश का निर्माण होता है और देश से विश्व का कल्याण होता है और साहित्य का जो मूलभूत आधार है **वह भाषा ही है।** तभी तो कहा जाता है:

''अंधकार है वहां, जहां आदित्य नहीं
मुर्दा है वो देश, जहां साहित्य नहीं।''

भाषा ही मानव समाज को जोड़ने वाली कड़ी है। हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में समानता ही भारत की सांस्कृतिक राष्ट्र 'वीणा' है, भले ही उसमें विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय भाषाओं के तार लगे हैं परंतु उनका स्वर एक ही है और 'वीणा' का एक भी तार टूट जाए तो मधुर ध्वनि नहीं आती ठीक उसी प्रकार हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं एक दूसरे के बिना अधूरी हैं।

हिंदी समेत सभी क्षेत्रीय भाषा आपस में तारतम्यता बनाए हुए है और उनमें पारस्परिक संबंद्ध ही है जिससे महाभारत, रामायण जैसे कालजयी साहित्य की रचना होती है जो भारत को विश्वगुरु बना देता है। हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के बोलचाल और लिखने-पढ़ने की पद्धति अलग है और आपस में एक गहरा संबंद्ध है। क्या हम कह सकते है कि तेलगु भाषा के वेमना और हिन्दी भाषा के कबीर की भावनाएं अलग-अलग है? क्या तमिल के आण्डाल और राजस्थान की मीराबाई के भक्ति का स्वर अलग-अलग है?

हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं तो भारत की उन नदियों के समान है जो देश के अलग-अलग भू-भागों से बहती है और अपनी दोनों किनारों पर नयी-नयी सभ्यताओं को जन्म देती है। क्षेत्रीय भाषाएं भी ठीक उसी प्रकार भिन्न-भिन्न संस्कृति को जन्म देती है और अंत में जिस प्रकार सभी नदियां सागर में विलिन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं भारत के साहित्य रुपी क्षीर सागर में विलिन होकर उसे समृद्धशाली बना देती है।

प्राचीनकाल से ही भारतवर्ष में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। भारतीय भाषाओं में रचे साहित्य का गौरव इतना था कि जो भी आक्रमणकारी भारत आए उन सभी ने भारतीय भाषाओं में रचित साहित्य को नष्ट करने का भरपूर प्रयास किया। कहा जाता है कि मुगल सरदार बख्तियार खिलजी ने ईर्ष्या और जलन की भावना से ग्रसित होकर नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया और उस आग से महीनों तक धुआं उठता रहा।

जब-जब ऐसे आक्रमणकारी ने भारतीयता पर आघात करने का प्रयास किया तब-तब हमारे इन्हीं क्षेत्रीय और हिंदी भाषाओं में रचित साहित्य ने उनका प्रतिकार किया। चाहे तमिल के सुब्रमणियम भारती और हिंदी के भारतेंदु हरिश्चंद्र का शंखवाद हो, चाहे बंकिम चंद्र का बंदेमातरम का युद्धघोष हो और इस तरह से इन भाषाओं में रचित साहित्य ने आक्रमणकारियों से लड़ने की प्रेरणा दी।

आज के युग को हम हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के पारस्परिक संबंध का सुनहरा युग कह सकते हैं। आज इन भाषाओं के आपसी संबंध का ही परिणाम है कि उत्तर भारत का हिंदी भाषी दक्षिण भारत में जाकर अपना जीविकोपार्जन कर रहा है। पश्चिम भारत का कोई युवा उत्तर - पूर्व के किसी दूर दराज के इलाके में कार्यरत है।

इसमें हमारी सरकारी बैंकों की भी अहम भूमिका है। जहाँ काम करने वाले कर्मचारी, अधिकारी भारत वर्ष के दूर दराज के इलाके में कार्य करने जाते हैं, जिससे अलग-अलग भाषाओं को सीखने का मौका मिलता है।

अंतत: इतना कहूंगा कि प्राचीन काल में सांस्कृतिक एकता का दायित्व संस्कृत भाषा पर रहा है, आज यह भूमिका हिंदी के कंधों पर है जिसको वह कुशलता से निभा रही है और सभी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ गहन संबंध बने हुए हैं।

अत: हम यह कह सकते हैं कि **हिंदी क्षेत्रीय भाषाओं की सखी है।**

कविता

हिन्दी हमारी शान है...

स्मारिका
अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ

आन है, बान है, हिन्दी हमारी शान है,
हिन्दी से ही इस जग में हमारी पहचान है,
हम हिन्दी है, हिन्दी का हम सबको अभिमान है।

जो जोड़ती हमे हमारी संस्कृति से है,
वो हिन्दी भाषा है निराली।
जन में हिन्दी, मन में हिन्दी,
राष्ट्र का गौरव बढ़ाने वाली है हिन्दी।

संपूर्ण देश को जोड़ कर रखने वाला एक मज़बूत धागा है हिन्दी,
भारत की आशा है हिन्दी।
अनेकता में एकता का सार है हिन्दी
देश को जो सदैव प्रज्वलित करे वो दीप समान है हिन्दी।

हिन्दी की लौ को कभी बुझने नहीं देना है,
हिन्दी हमारा सम्मान है, इसे झुकने नहीं देना है।
भाषाएं तो सभी प्यारी है,
पर हिन्दी जान हमारी है।।

रेनी श्रीवास्तव
अधिकारी
प्रयागराज एस.के.पी. शाखा

कविता

पहचान दिलाएं हिन्दी को

बच्चे की है आवाज़ पहली,
माँ की है सीख पहली ।
लड़कपन का खिलवाड़ है
जवानी का पाठ है ।।

विचारों की है ध्वनि,
प्रेमचंद की है लेखनी ।
जयशंकर की कामायनी है,
बुंदेलों की मर्दानी है ।।

मीरा की अद्भुत तान है,
सूर का चमत्कृत गान है ।
ईश्वर की है आराधना,
अल्लाह की है पुकार ।।

नेताओं का वादा है तो,
जनता की हूंकार है ।

खो न जाए भीड़ में कहीं,
सिमट न जाए अस्तित्व कहीं।
एक दिवस के भाषण में,
चलो सजाएँ हिन्दी को,
पहचान दिलाएँ हिन्दी को ।।

आलेख

देवनागरी लिपि को रोमन लिपि से मिलती चुनौतियां

गुलशन पँवार
लिपिक
देवली शाखा

लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वही लिपि कहलाती है। अर्थात् जब हम कुछ बोलते हैं तो वह ध्वनि का एक रूप होता है। इस ध्वनि के रूप को अगर हम कोई चिन्ह दे दें और उसे एक व्यवस्थित रूप में लिखें तो किसी भाषा का चिन्ह या बनावट जो लिखित रूप में होता है उसे लिपि कहते हैं। इस तरह लिपियों को विभिन्न स्वरूपों में वर्गीकृत किया गया है। इस प्रकार अलग-अलग भाषाओं की लिपियाँ भी अलग-अलग होती हैं जैसे की हिन्दी देवनागरी लिपि में, अंग्रेज़ी रोमन लिपि और उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है।

भारत में मुख्यतः देवनागरी और रोमन लिपि का प्रचलन सबसे अधिक है। परन्तु वर्तमान समय में रोमन लिपि का महत्व, देवनागरी लिपि की तुलना में बढ़ता जा रहा है। जिसके कई महत्त्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। लेकिन यह सच है कि देवनागरी के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती हिंदी की ही है। इसमें कोई दो-राय नहीं कि हिंदी का परिदृश्य लगातार बदल रहा है। उसमें विस्तार हो रहा है। लेकिन उसकी चुनौतियां भी कम नहीं हो रहीं। कुछ चुनौतियां कृत्रिम हैं, तो कुछ जायज भी हैं। देवनागरी लिपि की कृत्रिम चुनौती को आजकल के जमाने में जायज मानना भी सही है क्योंकि वर्तमान समय के अनुसार रोमन लिपि का विस्तार इस हद तक हो चुका है कि नयी पीढ़ी के द्वारा व्यावसायिक कार्यो में सफलता और उसके विकास के महत्त्वपूर्ण नतीजों को प्राप्त करने के लिए स्वत: ही रोमन लिपि को चुना जाता है तथा अंग्रेज़ी भाषा समाज में जंगल की आग की तरह फैल रही है। गिनती के मामले में अंग्रेज़ी के अंकों को स्वीकार कर हम पहले ही समर्पण कर चुके थे। नतीजा यह हुआ कि आज की पीढ़ी में शायद ही हिंदी की गिनती को कोई समझता हो।

हिंदी चैनलों में काम करने के लिए आने वाले युवा पत्रकारों को सबसे ज्यादा मुश्किल इसी में होती है। नई टेक्नोलॉजी के आने के बाद वाकई देवनागरी में व्यवहार मुश्किल होता गया। चूंकि कंप्यूटर का आविष्कार पश्चिम में ही हुआ और जो भी कोई नई प्रगति होती है, वह भी वहीं से होती है, इसलिए सब कुछ अंग्रेज़ी में ही आरंभ होता है। जो देश प्रौद्योगिकी की दृष्टि से उन्नत हैं, वे जरूर अपनी भाषाओं में शुरुआत करते होंगे। लेकिन हमारे यहां चूंकि अंग्रेज़ी का बोलबाला है, इसलिए कोई भी नई चीज हमारे यहां अंग्रेज़ी में ही पहुंचती है। तत्पश्चात उसको हिंदी में अनूदित करके देश के विभिन्न कोनों में अग्रेषित किया जाता है। इस प्रकार से मीडिया की ज़रूरतों के कारण बहुत देर से कोई चीज हिंदी या भारतीय भाषाओं में आती है। भारत में इंटरनेट 1995 में आया तो हमारे सामने फॉण्ट की समस्या पैदा हुई। भारत जो कि देवनागरी लिपि से उस समय ज्यादा जुड़ा हुआ था के सामने गंभीर समस्या रोमन लिपि वाली अंग्रेज़ी भाषा के आने से हुई। वर्ष 2000 में जाकर माइक्रोसॉफ्ट ने कंप्यूटर के भीतर ही मंगल नामक यूनिकोड फॉण्ट देना शुरू किया। लेकिन यह बड़ा ही कृत्रिम लगता है। देवनागरी का सौंदर्य उसमें दूर-दूर तक नहीं झलकता। खैर बाद में कुछ और फॉण्ट यूनिकोड पर आए और हिंदी की दशा सुधरी। लेकिन की-बोर्ड की समस्या बरकरार रही। इसी तरह अंग्रेज़ी में स्पेलिंग चेक करने वाला सॉफ्टवेयर होता है, व्याकरण जांचने वाला सॉफ्टवेयर होता है, हिंदी में बीस साल बाद अब जाकर इस तरह के प्रयास सामने आ रहे हैं, फिर भी वे बहुत कम इस्तेमाल हो रहे हैं।

इस समय देवनागरी लिपि के सामने गंभीर चुनौतियां है। देवनागरी लिपि के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो रहा है। किसी भी भाषा की पत्र-पत्रिकाओं की अपनी भाषा को बढ़ाने की ज़िम्मेदारी होती है। अभिव्यक्ति के लिए नए शब्द, शैली, प्रयोग आदि के माध्यम से भाषा आगे बढ़ती है। लेकिन हिंदी में तो ऐसा लगता है कि पराजित भाव से हिंदी पत्रकारिता ने अंग्रेज़ी के साम्राज्यवाद के सामने घुटने टेक दिए हैं और उनके सिपाही बन कर चुन-चुन कर अपनी भाषा के जीते-जागते, चलते फिरते सशक्त शब्दों की पीठ में छुरा घोंप कर उसकी जगह अंग्रेज़ी शब्दों को स्थापित कर रहे हैं। यहाँ तक कि हिंदी के ये समाचार पत्र अब विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि और अपनी भाषा की लिपि अर्थात देवनागरी लिपि को हटाकर उसके स्थान पर रोमन लिपि को स्थापित करने में जुटे हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि

पत्रकारिता के सिपाही ही निर्ममता से अपनी लिपि को कुचलते जा रहे हैं। हो सकता है कि व्यावसायिकता फलन की उन्मुक्त सराहना और पद्दोनती के कारण उनकी पीठ पर बैठे प्रबंधन जो की अंग्रेज़ी के सिपहसालार है, उन्हें ऐसा करने को विवश कर रहे हैं।

सविंधान के अनुच्छेद 343-351 में देवनागरी लिपि के संबंध में और हिंदी भाषा के बारे में भारत सरकार द्वारा कई प्रकार के दिशानिर्देश जारी किए गए जिससे की रोमन लिपि के अस्तित्व को संरक्षित किया जा सके। इन खतरों और चुनौतियों से निपटने के लिए जिस प्रकार की सक्रियता और तैयारी की आवश्यकता है वह अभी दूर-दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही। अगर सीमा पर दुश्मन आगे बढ़ रहा हो और हमारे सैनिक दुश्मन का मुकाबला करने के बजाए वहाँ देश-प्रेम के गीतों पर झूमने लगें, गीत - संगीत, कविता, कहानी शुरू कर दें तो क्या होगा? भाषा के क्षेत्र में भाषा के हमारे सिपाही क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। छोटे - छोटे गाँवों तक अंग्रेज़ी माध्यम के विद्यालयों का हमला हो चुका है। हर क्षेत्र में अब अंग्रेज़ी का साम्राज्य स्थापित होता हुआ दिख रहा है।

हर हाथ में मोबाइल फोन और हर घर तक इंटरनेट की पहुँच बनाने की कंपनियों की कोशिश के बीच हिन्दी भाषा के समक्ष नई प्रौद्योगिकी ने उसकी लिपि देवनागरी के लोप का खतरा पैदा कर दिया है। यह मानना है विशेषज्ञों का जो इस बात से चिंतित हैं कि मोबाइल फोन से एसएमएस करने और इंटरनेट से चिट्ठी लिखने में अंग्रेज़ी भाषा की रोमन लिपि का इस्तेमाल हिन्दी लिखने में किया जा रहा है।

सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल, टेलीफोन और इंटरनेट का उपयोग बढ़ाने पर जोर दे रही है और इस दिशा में आधारभूत ढाँचे का विस्तार किया जा रहा है। सेवा प्रदाता कंपनियों को भी भारत के गाँवों में बाजार दिख रहा है। ऐसे में इन दोनों माध्यमों का इस्तेमाल करने वाले लोगों में हिन्दी लिखने के लिए अंग्रेज़ी भाषा का उपयोग जारी रहा तो विकटता की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। आजकल के बच्चे 'क', 'ख', 'ग' के स्थान पर 'ए', 'बी', 'सी' पहले सीखते हैं इसलिए वे अंग्रेज़ी और रोमन में ज्यादा सहज हैं। लिपियों की चर्चा करते हुए यह भी सही है कि भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है लेकिन एक लिपि न अपनाने से भाषा के भविष्य पर भी संकट गहराएगा। हिंदी, बांग्ला, उड़िया आदि भारतीय भाषाओं को देवनागरी में आगे लाना चाहिए जिससे भाषाएं रोजगार से जुड़ें परन्तु रोमन लिपि के कारण यह केवल स्वप्न ही प्रतीत होता है।

लिपि की समस्या स्वतंत्रता के युग में भी उलझी - सुलझी और अनसुलझी है - कहावत है कि 'मर्ज़ बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की' भारत की विशालता पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जहां एक ओर इसकी विशाल संस्कृति है तो दूसरी ओर इसकी विसंगतियां भी कम नहीं है। देश गुलाम हुआ और उसकी सदियों की गुलामी ने उसके वैभव और विभूतियों को क्षार-क्षार कर डाला। उन्नत ज्ञान के बहुत से अंग भी अज्ञान और कुज्ञान में परिवर्तित हो गए। विभिन्न प्रान्तों की बोलियाँ और उनकी विभिन्न लिपियाँ अपने-अपने क्षेत्र में अपनी-अपनी सत्ता स्थिर देखकर अपनी ही लघुता में महानता की अनुभूति अनायास करने लगी। अंग्रेज़ी सत्ता प्रसाद के रूप में रोमन लिपि के विष-वृक्ष का बीजारोपण कर गयी। आधुनिक विज्ञान-युग की लाडली पुत्री मशीन विलासिता युगों से स्थिर परम वैज्ञानिक आधारों पर स्वीकृत देवनागरी लिपि के सर्वमान्य ध्वनी चिन्हों में विविध प्रकार के थोथे तर्कों के सहारे परिवर्तन की आवश्यकता अनिवार्य सिद्ध करा गई। और राष्ट्रभाषा का प्रश्न हल हुआ तो लिपि की समस्या आज भी उलझी और अनसुलझी ही दिखती है। लिपि या अक्षर ध्वनियों के चिन्ह ही तो है-संस्कृत की ज्येष्ठ पुत्री हिंदी अपनी कुल परम्परा के अनुकूल सदा ही लेखनी की नोक पर देवनागरी लिपि के वेश में ही अवतरित होती रही है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीयता की दुहाई देने वाले कुछ मनीषी विद्वान उसे रोमन का जामा पहनने का हठ करते देखे ही जाते है। प्रांतीय लिपियों की संकीर्ण मोहकता में बंधे यदि और कुछ नहीं कह सकते तो वो अंतर्राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण से ही देवनागरी के मार्ग में रोमन की आड़ में या कभी मशीनवाद के पीछे से ही रोड़े अटकाने की व्यर्थ चेष्टा करते देखे जाते हैं। इनकी दलीलें भी कम विचित्र नहीं, राष्ट्र लिपि के लिए रोमन की उपयोगिता दो तरह से सिद्ध की जाती है। एक तो यह है कि जहां रोमन में केवल सिर्फ 26 अक्षर है, वहां देवनागरी में 56 अक्षर है। दूसरी दलील है कि रोमन के माध्यम से संसार की विभिन्न विदेशी भाषाओं से अनायास संपर्क कायम रहने का भरोसा है। लेकिन इन रोमन के समर्थकों ने यह न सोचा कि लिपि या अक्षर आखिर विभिन्न ध्वनियों के चिन्ह ही तो हैं। जिस भाषा के शब्दों में जितनी ध्वनियाँ आवश्यक होगी उतने चिन्ह भी अनिवार्य होने चाहिए। यदि रोमन में हिंदी भाषा लिखी जाएगी तो उसे 56 ध्वनियों के लिए रोमन के 26 अक्षरों का 56 बनाना ही पड़ेगा। रोमन का घूँट भारतीयों के गले के नीचे अंग्रेज़ी भाषा के आवश्यक ग्रहण के निमित ही उतरा गया था, आज भी अंग्रेज़ी का पल्ला अभी छूटा नहीं है। अंग्रेज़ी शब्दों में रोमन की ध्वनियाँ जिस रूप में हमारे कानो में गूंजती है वह सहासा हिंदी भाषा या भारत की अन्य किसी भी पारदर्शिक भाषा के व्यवहार में अन्य रूप धारण कर लेगी, यह तब तक संभव नहीं है जब तक सतत और कष्ट साध्य अभियास के द्वारा मस्तिष्क में ध्वनी विवेक की एक विलग शक्ति उत्पन्न न कर ली जाए और रोमन लिपि का जो प्रसाद हमें अब तक मिल चुका है उसके परिणामस्वरूप कदाचित दो एक उदाहरण ही यहां प्राप्त होंगे। प्रसिद्ध पुण्य स्थल भीम गया का भाम गोडा प्रख्यात हो जाना और द्रोणाचल का द्रोण कल प्रसिद्ध हो जाना कम भयंकर परिणाम नहीं है। **सन्दर्भ पुस्तक: देवनागरी लिपि- स्वरूप, विकास और समस्याएं (अध्याय 4 -भाग**

संख्या 2 – देवनागरी लिपि की यांत्रिक समस्या और राष्ट्रीय लिपि की आज की समस्या) लेखक आचार्य ललिता प्रसाद सुकुल।

अब स्थित यह है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी देवनागरी की जगह रोमन लिपि लेती जा रही है । पहले जिन क्षेत्रों में देवनागरी लिपि प्रचलित नहीं थी, वहां देवनागरी लिपि को बढ़ाने की बात थी। अब देवनागरी लिपि को बचाने की स्थिति आ गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं की हिंदी के रोम-रोम में समाती जा रही है रोमन लिपि जो कि देवनागरी लिपि के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आजकल हम हिंदी दिवस पर भी हिंदी का महत्व नहीं समझ रहे हैं। आज हिन्दी लेखनी के संदर्भ में मूल देवनागरी बनाम रोमन की बहस ने भाषाविदों को भी दो अलग-अलग धड़ों में बांट दिया है और इस बहस को ज्वलंत किया है।

हिन्दी के लिए प्रयुक्त लिपि के संबंध में एक धारणा यह है कि हिन्दी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार एवं विकास की दिशा में तकनीक के आधुनिक संसाधनों एवं वैश्विक मंचों पर देवनागरी लिपि की जटिलता बाधक साबित हो सकती है जबकि रोमन लिपि के माध्यम से हिन्दी को ज्यादा सहजता से प्रचारित किया जा सकता है। भाषा के जानकारों का यह समूह इस बात पर बल देता है कि तकनीकी विकास के अनुरूप तेज़ी से बदलते सामाजिक एवं शैक्षिक वातावरण में हिन्दी लेखनी में रोमन लिपि को स्वीकार करना हिन्दी के वैश्विक स्तर पर प्रसार के लिए सबसे कारगर उपाय साबित हो सकता है ।

हिन्दी को देवनागरी के दायरे में बाँध कर रखना भाषाई दृष्टिकोण से हिन्दी को अंतरर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमित और संकुचित बनाता है। वहीं देवनागरी को हिन्दी भाषा के लिए सबसे उपयोगी लिपि को मानने वाला दूसरा तबका हिन्दी लेखन में रोमन स्वीकृति को हिन्दी के भाषाई व्याकरण एवं शब्द संरचना के दृष्टिकोण से अनुचित मानता है। देवनागरी के समर्थकों का मानना है कि किसी भी भाषा को बेशक किसी भी लिपि में लिखा जा सके मगर भाषाई परिशुद्धता के दृष्टिकोण से यह देखना ज़रूरी है कि कौन सी लिपि किस भाषा के शब्द संरचना, शब्द उच्चारण, व्याकरण आदि के दृष्टिकोण से सबसे तटस्थ और पुष्ट प्रतीत होती है। इनके अनुस्वार, उच्चारण एवं शब्द संरचना के हिसाब से हिन्दी को जितनी सुंदरता और सहजता से देवनागरी में प्रस्तुत किया जा सकता है उतनी स्पष्टता से रोमन में कर पाना संभव नहीं है।

अस्मिता द्विवेदी
अधिकारी
खुदरा आस्ति केंद्र, जबलपुर

कविता

हिंदी संवाद

हिंदी में संवाद है, हृदय का संवाद,
उतारकर बनावटी मुखौटे, लीजिए अपनेपन का स्वाद।

ना इससे मीठी भाषा कोई, ना इसका कोई विकल्प है,
इसको कमतर आंके जो, समझिए ज्ञान उसका अल्प है।

प्राचीन सभ्यता संस्कृति हमारी, ऋषि मुनियों की धरोहर है,
हिंदी का मुकुट लगाए, भारत मां का रूप मनोहर है।

हर भाषा है स्वयं में खास, हर भाषा का अपना महत्व है,
पर हिंदी है राष्ट्र की भाषा, इसमें एकता का सत्व है।

घूम लीजिए सारी दुनिया किंतु, अंत में देश अपना ही भाता है,
अनेक भाषाएं, बोलियां यहां, आनंद उन्हीं में आता है।

माना की वैश्विक दौड़ में आज, अंग्रेज़ी का जमाना है,
कहीं पीछे न छूटे पहचान हमारी, हमें फिर से हिंदी का युग लाना है।

आओ मिलकर प्रण करें की, दिखावे को त्याग सकें,
और हृदय में बसी मां स्वरूपा, हिंदी का सम्मान करें।
हिंदी का सम्मान करें।।

"हिंदी का महत्व मानकर हम राष्ट्रीय एकता को मज़बूती प्रदान कर सकते हैं।"
– जवाहरलाल नेहरू

आलेख

विविधता में एकता के लिए उत्प्रेरक : राजभाषा हिंदी

विजय कुमार
अधिकारी
प्रधान कार्यालय, बेंगलूरु

भाषा केवल संचार के माध्यम से कहीं अधिक है; यह संस्कृति, इतिहास और पहचान का भंडार है। भारत की विशाल और विविध संस्कृति में, एक आधिकारिक भाषा का चुनाव गहरा महत्व रखता है। किसी राष्ट्र की जटिल रूपरेखा के भीतर राजभाषा एक अलग महत्व रखती है। यह भाषाई धागा है जो शासन, शिक्षा और सामाजिक एकता के ताने-बाने को एक साथ बुनता है। हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में, भाषाई धागे के रूप में कार्य करती है जो इस बहु-जातीय, बहु-भाषाई राष्ट्र को एक साथ बांधती है। यह लेख भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी से जुड़े समृद्ध इतिहास, बहुआयामी अवधारणा, सांस्कृतिक महत्व, विवादों और चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।

राजभाषा की परिभाषा:

एक आधिकारिक भाषा, इसकी सरलतम परिभाषा में, आधिकारिक संचार, कानून और प्रशासन के लिए प्राथमिक माध्यम के रूप में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और नामित भाषा है। यह भाषाई चैनल है जिसके माध्यम से कोई राष्ट्र अपने प्रशासन को संचालित करता है। जबकि कई देशों में एक ही आधिकारिक भाषा है, कुछ अपनी सीमाओं के भीतर भाषाई विविधता को पहचानते हुए कई आधिकारिक भाषाओं का विकल्प चुनते हैं।

राजभाषा के उदाहरण:

राजभाषा का चयन दुनिया भर में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों के आधार पर काफी भिन्न होता है। यहां कुछ उदाहरणात्मक उदाहरण दिए गए हैं:

संयुक्त राज्य अमेरिका: संयुक्त राज्य अमेरिका संघीय स्तर पर एक आधिकारिक भाषा नामित नहीं करता है। हालाँकि, अंग्रेज़ी वास्तव में संचार की प्राथमिक भाषा है।

कनाडा: कनाडा आधिकारिक तौर पर द्विभाषी है, संघीय स्तर पर अंग्रेज़ी और फ्रेंच को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। कुछ प्रांतों में अतिरिक्त आधिकारिक भाषाएँ हैं।

दक्षिण अफ्रीका: दक्षिण अफ्रीका 11 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देता है, जिनमें ज़ुलु, ज़ोसा, अफ्रीकी और अंग्रेज़ी शामिल हैं, जो इसकी समृद्ध भाषाई विविधता को दर्शाता है।

स्विट्ज़रलैंड: स्विट्ज़रलैंड में चार राष्ट्रीय भाषाएँ हैं: जर्मन, फ्रेंच, इतालवी और रोमान्श। प्रत्येक कैंटन (राज्य) अपनी भाषाई संरचना के आधार पर अपनी आधिकारिक भाषाओं का निर्धारण करता है।

यूनाइटेड किंगडम: यूनाइटेड किंगडम में आधिकारिक भाषा पदनाम का अभाव है, हालांकि अंग्रेज़ी प्रमुख और सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है।

भारत: भाषाई विविधता की विशेषता वाला भारत अपने संविधान के तहत 22 भाषाओं को मान्यता देता है। केंद्र सरकार के स्तर पर हिंदी और अंग्रेज़ी आधिकारिक भाषाओं के रूप में काम करती हैं।

राजभाषा का महत्व

राजभाषा किसी राष्ट्र के सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक ताने-बाने को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहां उनके महत्व को उजागर करने वाले कुछ प्रमुख पहलू दिए गए हैं:

संस्कृति का संरक्षण: राजभाषाएं अक्सर किसी राष्ट्र की संस्कृति और इतिहास में गहराई से निहित होती हैं। वे देश की विरासत, साहित्य और परंपराओं को संरक्षित और बढ़ावा देने में मदद करती हैं।

प्रशासनिक दक्षता: एक निर्दिष्ट राजभाषा होने से सरकारी कार्यों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि कानून, नीतियां और आधिकारिक दस्तावेज़ सभी नागरिकों के लिए आसानी से समझने और पहुंच योग्य हों। इसके अलावा राष्ट्र में होने वाले ज्ञान-विज्ञान, अनुसंधान के

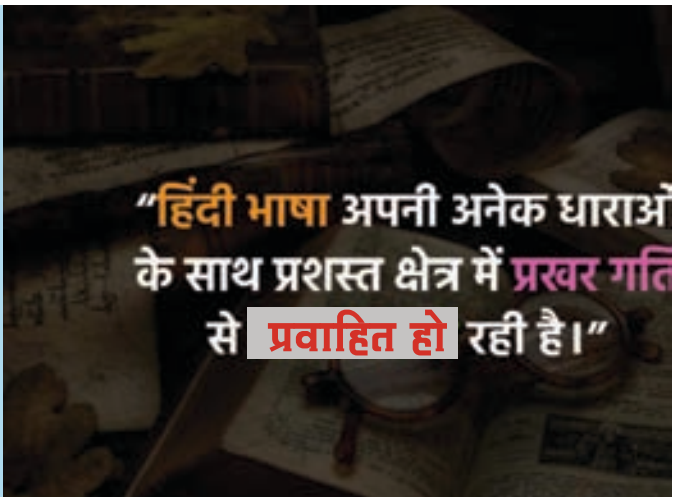

दस्तावेज़ अपनी भाषा में उपलब्ध कराना भी प्रशासन की ज़िम्मेदारी है।

एकता को बढ़ावा देना: कई भाषाओं और जातीय समूहों वाले विविध देशों में, एक आधिकारिक भाषा का चयन संचार का साधन प्रदान करके एकता को बढ़ावा दे सकता है। यह भाषाई विभाजन को पाटता है और राष्ट्रीय पहचान की भावना को बढ़ावा देता है।

शिक्षा: शिक्षा में राजभाषा का उपयोग महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच प्राप्त हो और वे शासन की भाषा में प्रभावी ढंग से अध्ययन/अनुसंधान कर सकें।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध: राजभाषा का उपयोग राजनयिक बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किया जाता है। किसी देश की राजभाषा में प्रवीणता अक्सर विदेशी राजनयिकों और अधिकारियों के लिए एक आवश्यकता होती है।

आर्थिक विकास: एक आधिकारिक भाषा व्यावसायिक लेनदेन, व्यापार समझौतों और विदेशी निवेश को सक्षम करके आर्थिक विकास को सुविधाजनक बना सकती है। यह व्यवसाय जगत में भाषाई बाधाओं को कम करती है।

राजभाषा के रूप में हिंदी की ऐतिहासिक जड़ें :

भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी का ऐतिहासिक विकास देश के जटिल अतीत से निकटता से जुड़ा हुआ है:

ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत: ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान, अंग्रेज़ी प्रशासन की प्रमुख भाषा थी। हालाँकि, आधिकारिक संचार में अंग्रेज़ी के विकल्प के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने के कई प्रयास किए गए।

भाषाई आंदोलन: स्वतंत्रता-पूर्व युग में हिंदी की मान्यता की वकालत करने वाले कई भाषाई आंदोलन देखे गए। महात्मा गांधी जैसी प्रमुख हस्तियों का मानना था कि हिंदी भारत के विविध भाषाई समुदायों को एकजुट करने वाली शक्ति के रूप में काम कर सकती है।

स्वतंत्रता पश्चात: 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, भारत को एक ऐसी भाषा चुनने की चुनौती का सामना करना पड़ा जो उसके लोगों को एकजुट कर सके। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और संचार के लिए एक सामान्य माध्यम के रूप में काम करने के लिए राजभाषा के रूप में चुना गया था।

राजभाषा के रूप में हिंदी की स्थिति

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में नामित किया गया था। यह ऐतिहासिक और राजनीतिक विचार-विमर्श का परिणाम था जिसने विविधता वाले देश में भाषाई एकता स्थापित करने की मांग की थी। यह निर्णय विवाद से रहित नहीं था, क्योंकि भारत अनेक भाषाओं का घर है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी समृद्ध विरासत है।

हिंदी का सांस्कृतिक महत्व

हिंदी महज़ एक भाषा नहीं है; बल्कि यह संस्कृति, साहित्य और पहचान का भंडार है। यहां कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे हिंदी भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है:

कबीर, तुलसीदास और प्रेमचंद जैसे प्रसिद्ध कवियों और लेखकों के साथ हिंदी एक समृद्ध साहित्यिक परंपरा का दावा करती है। हिंदी साहित्य भारतीय उपमहाद्वीप के लोकाचार को प्रतिबिंबित करता है।

सिनेमाई प्रभाव: हिंदी फिल्म जगत, जिसे बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, दुनिया में सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली उद्योगों में से एक है। इसने भारत और विदेश दोनों में लोकप्रिय संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व: हिंदी रामायण और महाभारत सहित कई महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों की भाषा है। यह विभिन्न आध्यात्मिक शिक्षाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम भी है।

राष्ट्रीय प्रतीक: हिंदी भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों से निकटता से जुड़ी हुई है, जिनमें राष्ट्र गान, जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम शामिल हैं।

विवाद और चुनौतियाँ

हालाँकि हिंदी को राजभाषा घोषित करने का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है, लेकिन यह विवादों और चुनौतियों से रहित नहीं है:

भाषाई विविधता: भारत 1,600 से अधिक भाषाओं का घर है, जो इसे दुनिया में सबसे अधिक भाषाई विविधता वाले देशों में से एक बनाता है। हिंदी के प्रचार-प्रसार को कभी-कभी गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों के हितों की उपेक्षा के रूप में देखा गया है।

शिक्षा तक समान पहुंच: यह सुनिश्चित करना कि सभी भाषाई पृष्ठभूमि के नागरिकों को हिंदी में शिक्षा तक समान पहुंच मिले, चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां हिंदी मातृभाषा नहीं है।

द्विभाषावाद और बहुभाषावाद: भारतीय संविधान अपनी आठवीं अनुसूची के तहत आधिकारिक तौर पर 22 भाषाओं को मान्यता देता है। यह मान्यता प्रशासनिक और शैक्षिक संदर्भों में द्विभाषावाद या बहुभाषावाद के महत्व पर जोर देती है।

लिपि विवाद: जहाँ हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, वहीं भारत की भाषाई विविधता में विभिन्न लिपियों वाली भाषाएँ भी शामिल हैं। इससे लिपि-आधारित पहचान के बारे में बहस छिड़ गई है।

राजभाषा हिंदी : एक एकीकृत शक्ति

चुनौतियों और विवादों के बावजूद हिंदी भारत में एकता का प्रतीक बनी हुई है। यह राष्ट्र को बनाने वाले विविध भाषाई और सांस्कृतिक समुदायों के बीच एक पुल के रूप में कार्य करती है। यह समझना आवश्यक है कि हिंदी की आधिकारिक स्थिति अन्य भाषाओं के महत्व को कम नहीं करती है। भारत अपनी भाषाई विविधता का जश्न मनाता है और संविधान भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है।

निष्कर्ष

राजभाषा हिंदी सिर्फ एक भाषाई विकल्प से कहीं अधिक है; यह भारत के जटिल इतिहास और विविध संस्कृति का प्रतिबिंब है। यह भारत को परिभाषित करने वाली समृद्ध भाषाई विविधता का सम्मान करते हुए एकजुट, सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र की आकांक्षा का प्रतीक है। इस भाषाई विविधता में, हिंदी शासन, शिक्षा और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की भाषा के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह विविधता में एकता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में खड़ी है, जहां भाषा केवल संचार का साधन नहीं हैं बल्कि देश की पहचान के ढांचे में जीवंत धागे हैं।

नितिन गुप्ता
अधिकारी
वास्को शाखा

कविता

मैं हिंदी हूँ ....

भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ भाषा, मैं हिन्दी हूँ,
पूरे भारतवर्ष को एक धागे में पिरोती, मैं हिन्दी हूँ,
हर हृदय को हृदय से जोड़ती, मैं हिन्दी हूँ,
मैं केवल भाषा ही नहीं, मैं एक भावना भी हूँ।

मैं हर एक वीर की बोली भी हूँ,
मैं आयोजनों में कवियों की टोली भी हूँ,
मैं हर गीत की सरगम हूँ, तो सुरों की ताल भी हूँ,
अंधेरों में रोशनी दिखाती हुई, मैं एक मशाल भी हूँ।

मैं नदियों कि कल - कल आवाज़ हूँ,
तो मैं झरनों के मीठे स्वरों का साज़ भी हूँ,
मैं आसमान में उड़ती चिड़ियों की कामनाएं भी हूँ,
तो लेखकों की कलमों से निकली भावनाएं भी हूँ।

जब तक ये मेरा देश रहेगा,
मेरा ऊँचा मान रहेगा,
पूरे देश कि प्यारी भाषा हूँ मैं,
भाषाओं में मेरा पहला स्थान रहेगा।

आलेख

देश की आत्मा – हिंदी

रुचि जैन
अधिकारी
इंदौर विजयनगर स्कीम शाखा

देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही है और यही वजह है कि **राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था।**

भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी एक राजभाषा है यानि कि राज्य के कामकाज में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा।

हिंदी भाषा का प्रयोग हमें गौरव और मान सम्मान प्राप्त कराता है, विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी भाषा का दूसरा स्थान है, हमारी मातृभाषा हिंदी भारत की संस्कृति, गौरव और मान सम्मान ही है जिससे भारत की पहचान की जाती है।

हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सभी धर्मों के लोगों को आपस में जोड़े रखने का काम करती है, यह सिर्फ एक भाषा का काम ही नहीं करती बल्कि यह एक देश की संस्कृति, वेशभूषा और रहन–सहन तथा पहचान आदि है।

एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। यह विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है जो हमारे पारम्परिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु भी है। हिंदी भारत संघ की राजभाषा होने के साथ ही ग्यारह राज्यों और तीन संघ शासित क्षेत्रों की भी प्रमुख राजभाषा है। संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल अन्य इक्कीस भाषाओं के साथ हिंदी का एक विशेष स्थान है।

देश में तकनीकी और आर्थिक समृद्धि के साथ–साथ अंग्रेज़ी पूरे देश पर हावी होती जा रही है। हिन्दी देश की राजभाषा होने के बावजूद आज हर जगह अंग्रेज़ी का वर्चस्व कायम है। हिन्दी जानते हुए भी लोग हिन्दी में बोलने, पढ़ने या काम करने में हिचकने लगे हैं। इसलिए सरकार का प्रयास है कि हिन्दी के प्रचलन के लिए उचित माहौल तैयार किया जा सके।

राजभाषा हिंदी के विकास के लिए विशेष रूप से राजभाषा विभाग का गठन किया गया है। भारत सरकार, राजभाषा विभाग इस दिशा में प्रयासरत है कि केंद्र सरकार के अधीन कार्यालयों में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में हो। इसी कड़ी में राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है। 14 सितंबर, 1949 का दिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसी दिन संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इस निर्णय को महत्व देने के लिए और हिन्दी के उपयोग को प्रचलित करने के लिए वर्ष 1953 के उपरांत हर वर्ष 14 सितंबर को हिन्दी दिवस मनाया जाता है।

हिंदी दिवस के अवसर पर सरकारी विभागों में हिंदी की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक पुरस्कार योजनाएं भी शुरू की हैं। सरकार द्वारा हिंदी में श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए ''राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना'' के अंतर्गत शील्ड प्रदान की जाती है। हिंदी में लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार का प्रावधान है। आधुनिक ज्ञान विज्ञान में हिंदी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए भी सरकार पुरस्कार प्रदान करती है। इन प्रोत्साहन योजनाओं से हिंदी के विस्तार को बढ़ावा मिल रहा है।

केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करना अधिक आसान एवं सुविधाजनक हो गया है। इसी क्रम में राजभाषा विभाग द्वारा वेब आधारित सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है जिससे भारत सरकार के सभी कार्यालयों में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट तथा अन्य रिपोर्टें राजभाषा विभाग को

त्वरित गति से भिजवाना आसान हो गया है। सभी मंत्रालयों और विभागों ने अपनी वेबसाइटें भी हिंदी में तैयार की हैं। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी विभिन्न योजनाओं की जानकारी आम नागरिकों को हिन्दी में मिलने से गरीब, पिछड़े और कमज़ोर वर्ग के लोग भी लाभान्वित होते हुए देश की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं।

देश की स्वतंत्रता से लेकर हिन्दी ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। भारत सरकार द्वारा विकास योजनाओं तथा नागरिक सेवाएं प्रदान करने में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। हिंदी तथा प्रांतीय भाषाओं के माध्यम से हम बेहतर जन सुविधाएं लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय द्वारा ''विश्व हिंदी सम्मेलन'' और अन्य अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से हिंदी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा ''प्रवासी भारतीय दिवस'' मनाया जाता है जिसमें विश्व भर में रहने वाले प्रवासी भारतीय भाग लेते हैं। विदेशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की उपलब्धियों के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम से भारतीय मूल्यों का विश्व में और अधिक विस्तार हो रहा है। विश्वभर में करोड़ों की संख्या में भारतीय समुदाय के लोग एक संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी को एक नई पहचान मिली है। यूनेस्को की सात भाषाओं में से हिंदी को भी मान्यता मिली है।

भारतीय विचार और संस्कृति का वाहक होने का श्रेय हिन्दी को ही जाता है। आज संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में भी हिंदी की गूंज सुनाई देने लगी है। पिछले वर्ष सितंबर माह में हमारे प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में ही अभिभाषण दिया गया था। विश्व हिंदी सचिवालय विदेशों में हिंदी का प्रचार-प्रसार करने और संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए कार्यरत है। उम्मीद है कि हिंदी को शीघ्र ही संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा भी प्राप्त हो सकेगा।

हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसकी मदद से भारत के प्रत्येक नागरिक आसानी से आपस में विचार विमर्श कर सकते हैं। हिंदी को संस्कृत की बड़ी बेटी का दर्जा भी प्राप्त है, हिंदी भाषा बहुत ही सरल भाषा है जिसे सभी लोग आसानी से सीखकर इसका प्रयोग कर सकते हैं।

हिंदी आम आदमी की भाषा के रूप में देश की एकता का सूत्र है। सभी भारतीय भाषाओं की बड़ी बहन होने के नाते हिंदी विभिन्न भाषाओं के उपयोगी और प्रचलित शब्दों को अपने में समाहित करके सही मायनों में भारत की संपर्क भाषा होने की भूमिका निभा रही है। हिंदी जन-आंदोलनों की भी भाषा रही है। हिंदी के महत्त्व को गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर ने बड़े सुंदर रूप में प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था, 'भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी'। हिंदी के इसी महत्व को देखते हुए तकनीकी कंपनियां इस भाषा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं। यह खुशी की बात है कि सूचना प्रौद्योगिकी में हिन्दी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। आज वैश्वीकरण के दौर में, हिंदी विश्व स्तर पर एक प्रभावशाली भाषा बनकर उभरी है। आज पूरी दुनिया में 175 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिन्दी भाषा पढ़ाई जा रही है। ज्ञान-विज्ञान की पुस्तकें बड़े पैमाने पर हिंदी में लिखी जा रही है। सोशल मीडिया और संचार माध्यमों में हिंदी का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है।

जनभाषा अथवा जनपदीय भाषा के रूप में हिंदी अलग-अलग बोली बोलने वालों के लिए अपनी अलग पहचान रखने का सशक्त माध्यम है। हिंदी भाषी राज्यों में बोली जाने वाली बोलियां वस्तुतः उन राज्यों के लोगों द्वारा अपनी मातृभाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। अन्य बोली बोलने वाले के साथ वे इसका प्रयोग प्रथम भाषा के रूप में करते हैं।

भाषा का विकास उसके साहित्य पर निर्भर करता है। आज तकनीकी के युग में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी हिंदी में काम को बढ़ावा देना चाहिए ताकि देश की प्रगति में ग्रामीण जनसंख्या सहित सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसके लिए यह अनिवार्य है कि हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में तकनीकी ज्ञान से संबंधित साहित्य का सरल अनुवाद किया जाए। इसके लिए राजभाषा विभाग ने सरल हिंदी शब्दावली भी तैयार की है। राजभाषा विभाग द्वारा राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन योजना के द्वारा हिंदी में ज्ञान-विज्ञान की पुस्तकों के लेखन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे हमारे विद्यार्थियों को ज्ञान-विज्ञान संबंधी पुस्तकें हिंदी में उपलब्ध होंगी। हिन्दी भाषा के माध्यम से शिक्षित युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें, इस दिशा में निरंतर प्रयास भी ज़रूरी है।

भाषा वहीं जीवित रहती है जिसका प्रयोग उसकी अधिकांश जनता करती है। भारत में लोगों के बीच संवाद का सबसे बेहतर माध्यम हिन्दी है। इसलिए इसको एक-दूसरे में प्रचारित करना चाहिए। इस कारण हिन्दी दिवस के दिन उन सभी से निवेदन किया जाता है कि वे अपने बोलचाल की भाषा में भी हिंदी का ही उपयोग करें। हिंदी भाषा के प्रसार से पूरे देश में एकता की भावना और मज़बूत होगी। हिन्दी हिंदुस्तान की भाषा है। राष्ट्रभाषा किसी भी देश की पहचान और गौरव होती है। हिन्दी हिंदुस्तान को बांधती है। इसके प्रति अपना प्रेम और सम्मान प्रकट करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है।

ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता शृंखला

शंकरनकुट्टी कुंजीरमन पोट्टेक्कट
(14 मार्च 1913 – 6 अगस्त 1982)

शंकरनकुट्टी कुंजीरमन पोट्टेक्कट मलयालम साहित्य के भारतीय साहित्यकार, कवि तथा राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने लगभग 60 किताबें लिखी हैं, जिनमें 10 उपन्यास, लघु कहानियों के 24 संग्रह, कविताओं के 3 संकलन, 18 यात्रा वृतांत, चार नाटक, निबंधों का एक संग्रह और व्यक्तिगत यादों पर आधारित कुछ किताबें शामिल हैं। एस के पोटेक्कट का जन्म कोषिकोड़ (कालीकट) में एक अंग्रेज़ी स्कूल शिक्षक कुंजीरमन पोट्टेक्कट के पुत्र के रूप में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा हिंदू स्कूल और कोषिकोड़ में ज़मोरिन हाई स्कूल में की थी। उन्होंने 1934 में कोषिकोड़ के ज़मोरीन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1937 से 1939 तक, उन्होंने कालीकट गुजराती स्कूल में एक शिक्षक के रूप में काम किया। उन्होंने 1939 में त्रिपुरा कांग्रेस में भाग लेने के लिए नौकरी छोड़ दी। फिर वह बंबई गए और कई नौकरियां की। वह 1945 में केरल वापस लौट आए। 1952 में, उन्होंने सुश्री जयवल्ली से विवाह किया और कालीकट में पुथियरा में बस गए।

'राजनीति' नामक उनकी पहली कहानी 1928 में ज़मोरिन कॉलेज मैगज़ीन में प्रकाशित की गई थी। 1940 के दशक में, उन्होंने खुद को मलयालम भाषा के महानतम लेखकों में से एक के रूप में पदस्थापित किया। उनके प्रसिद्ध कार्यों में यात्रा वृतांत शामिल हैं। वजीयांबलंगल नामक अपनी पहली यात्रा लिखने के बाद, उन्होंने हिमालय, यूरोप, मिस्र, लंदन, अफ्रीका, यूरोप और कई अन्य स्थानों पर यात्रा वृतांत लिखे। इनका काम अंग्रेज़ी, इतालवी, रूसी, जर्मन और चेक और अन्य भारतीय भाषाओं समेत कई भाषाओं में अनूदित किया गया है। उनकी उत्कृष्ट रचनाओं में 'ओरु थलशेरी और ओरु देसाशेन्दा' की कहानी हैं।

वे राजनीति में भी सक्रिय रहे। वह लोकसभा के लिए चुने जाने वाले चुनिंदा साहित्यिक लेखकों में से एक थे। 1962 में वह थलशेरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए। उन्होंने केरल साहित्य अकादमी, केरल संगीत नाटक अकादमी, साहित्यिक श्रमिक संघ और थुनजन मेमोरियल कमेटी जैसे कई अन्य सांस्कृतिक और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी के रूप में भी कार्य किया।

मिठाई और हलवा स्टालों के लिए मशहूर कोषिकोड़ की एक लोकप्रिय सड़क मिठई थेरुवु पर आधारित उपन्यास ओरु थेरुविन्डे कथा (द स्टोरी ऑफ ए स्ट्रीट) को उपन्यास के लिए 1961 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उनके जीवनी उपन्यास, ओरु देशतिन्डे कथा को 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया। तथा 1980 में इसी उपन्यास के लिए उन्हें 'ज्ञानपीठ पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। 1982 में, कालीकट विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ लेटर्स की मानद उपाधि से सम्मानित किया। भारतीय डाक विभाग ने ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं के रूप में 2003 में उन पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया।

दिनांक 11.09.2023 से 13.09.2023 तक संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप–समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, ठाणे का राजभाषायी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप–समिति के संयोजक श्री भर्तृहरि महताब, उपाध्यक्ष एवं माननीय अन्य सांसदों के कर कमलों से ठाणे, क्षेत्रीय कार्यालय की पत्रिका 'ठाणे तरंग' का विमोचन किया गया।

दिनांक 05.10.2023 को संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप–समिति द्वारा अंचल कार्यालय, जयपुर का राजभाषायी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान उप–समिति के माननीय सांसद श्री मनोज राजौरिया, श्रीमती कांता कर्दम, डॉ. अमी याज्ञिक, डॉ. रामेश्वर लाल मीना एवं अन्य माननीय सांसद उपस्थित रहे। निरीक्षण कार्यक्रम में बैंक का प्रतिनिधित्व करने हेतु केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय की ओर से श्री टी. के. वेणुगोपाल, महाप्रबंधक, श्री ई रमेश, सहायक महाप्रबंधक एवं श्री जी. अशोक कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक तथा अंचल कार्यालय, जयपुर से अंचल प्रमुख श्रीमती गीतिका शर्मा, महाप्रबंधक एवं श्री देवी सहाय मीणा, वरिष्ठ प्रबंधक तथा अन्य अधिकारी गण उपस्थित रहे।

केनरा बैंक
Canara Bank
A Government of India Undertaking
Together We Can

खुशियों की बहार आपके द्वार

केनरा **आवास ऋण**
ब्याज दर 8.40%* प्रति वर्ष

केनरा **वाहन ऋण**
ब्याज दर 8.70%* प्रति वर्ष

शून्य प्रसंस्करण और दस्तावेज़ीकरण प्रभार

*शर्तें लागू

आवेदन के लिए स्कैन करें और तत्काल अनुमोदन प्राप्त करें

1 Bank 1 Number 1800 1030 24/7 365 Days in 15 Languages
www.canarabank.com